भारत का विधि आयोग

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

(1985 का अधिनियम सं० 61)

से संबंधित एक सौ पचपनवीं रिपोर्ट

जुलाई, 1997

न्यायमूर्ति

के० जयचन्द्र रेड्डी

अध्यक्ष
विधि आयोग
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली–110 001
फोन नं० 3384475 (का०)
3019485 (निवास)

अ० भा० पत्र सं० 6(3)(35)/96–एल सी (एल एस) 9 जुलाई, 1997

माननीय मंत्री महोदय,

मुझे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 से संबंधित 155वीं रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष है।

औषधि दुरुपयोग समाज का एक प्रमुख अभिशाप बन गया है। यह ऐसी विधीयिका है जो लोक जीवन के लिए अनिष्टकर है और केवल किसी परिवार को ही नहीं अपितु, समाज को भी विनाश की ओर ले जाती है। इस व्याधि पर नियंत्रण करना आवश्यक है। ऐसा महसूस किया गया है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, वर्ष 1988 में उसमें किए गए संशोधन के बावजूद वांछित परिणाम नहीं दे सका है। अतः, विधि आयोग ने, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का पुनरीक्षण करना आवश्यक समझा है।

इस विषय पर, लोक अभिमत प्राप्त करने के लिए आयोग ने, अध्ययनाधीन विषय के विभिन्न पहलुओं पर तैयार की गई एक प्रश्नावली परिचालित की थी। आयोग ने, गोवा में एक कार्यशाला और नई दिल्ली में, भारत में दांडिक न्याय संबंधी संगोष्ठी भी आयोजित की थी जिसमें औषधि के नियंत्रण से संबंधित विधि के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया है।

खामियों को दूर करने तथा उपबंधों को और प्रभावी करने की दृष्टि से सिफारिशें की गई हैं। आशा है कि यदि ये सिफारिशें कार्यान्वित की जाती हैं तो एक यथेष्ट सीमा तक यह व्याधि नियंत्रित की जा सकेगी।

सादर,

भवदीय,

ह०/

(के० जयचन्द्र रेड्डी)

माननीय श्री रमाकान्त डी० खलप,
विधि और न्याय राज्य मंत्री,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

विषय सूची

पृष्ठ सं०

अध्याय 1—भूमिका 1–4

अध्याय 2—ओषधि दुरुपयोग और ओषधि व्यापार की विभीषिका . . 5–6

अध्याय 3—ओषधि संबंधी संवैधानिक लक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन . . 7–19

अध्याय 4—स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम : एक पुनरीक्षण । . 20–25

अध्याय 5—आज्ञापक और निदेशात्मक उपबंध : सशक्त अधिकारियों के कर्त्तव्य . 26–31

अध्याय 6—निष्कर्ष और सिफारिशें 32–35

उपाबन्ध

उपाबंध 1—विधि आयोग द्वारा जारी की गई स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम से संबंधित प्रश्नावली 36–38

उपाबंध 2—विधि आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली पर प्राप्त टीका-टिप्पणी . 39–47

उपाबंध 3—स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1989 के अधिनियम सं० 2 द्वारा यथासंशोधित) के अधीन अपराधों के लिए उपबंधित दंड 48–50

उपाबंध 4—31-8-1996 को राष्ट्रीय ओषधि प्रवर्त्तन से संबंधित आंकड़े (अनंतिम) 51–55

उपाबंध 5—गोवा में हुई कार्यशाला की कार्यवाहियों का सार . . . 56–57

उपाबंध 6—नई दिल्ली में हुई कार्यशाला की कार्यवाही 58–62

अध्याय 1

भूमिका

1.1. दांडिक न्याय प्रणाली का प्रशासन

आदिकाल से समाज कल्याण राज्य के प्रक्रम तक मानव के विकास के साथ-साथ, दांडिक विधि का प्रशासन, अत्यधिक महत्वपूर्ण बनता गया है। जब तक मानव ईश्वर से भयभीत रहता था और उसे यह विश्वास था कि उनकी गतिविधियों को "सर्वशक्तिमान" द्वारा देखा जा रहा है, दांडिक न्याय के प्रशासन की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया गया था। फिर भी, समय के साथ-साथ और जनसमुदाय अधिक भौतिकवादी बनने पर समाज के एक वर्ग ने, जिसमें पथभ्रष्ट और असंतुष्ट मानव थे, "सर्वशक्तिमान" में विश्वास खो दिया और यह सोचना आरंभ कर दिया कि उनकी गतिविधियों को किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। ये पथभ्रष्ट व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लग गए जिसके कारण दांडिक न्याय के प्रशासन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त, वे कार्यकलाप भी, जिन्हें "आपराधिक गतिविधियां" कहा गया है, समय के साथ-साथ बदलते गए। आज से 50 वर्ष पहले जिसे हानि तक नहीं माना जाता था वह अब आज के परिवर्तित परिस्थितियों, नए अनुसंधानों, नूतन चिंतन और जीवन की आधुनिक शैली के कारण आधुनिक युग की सबसे बड़ी बुराई बन गए हैं।

1.2. सफेदपोश अपराधों का आविर्भाव

अपराध साधारणतया दो प्रकार के होते हैं :

(क) व्यष्टिक व्यक्तियों पर प्रभाव डालने वाले पारम्परिक अपराध, जैसे हत्या, चोरी, हमला, आदि;

(ख) जन समुदाय पर प्रभाव डालने वाले सफेदपोश अपराध अथवा सामाजिक, आर्थिक अपराध, जैसे तस्करी, जमाखोरी, अपमिश्रण, अवैध व्यापार और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों का विक्रय, आदि सफेदपोश अपराध अभी हाल में ही बड़े हैं और उन्हें विधिविरुद्ध साधनों द्वारा किए गए सभी अवैध कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका प्रयोजन धन या सम्पत्ति या कारबार या वैयक्तिक अभिलाभ या लाभ अभिप्राप्त करना है। ऐसे अपराध प्रभावशाली, संगठित गैंगों द्वारा किए जाते हैं। सफेदपोश अपराधों के कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं :

(क) ऐसे सफेदपोश अपराधों के प्रति कोई सामाजिक मंजूरी नहीं है।

(ख) ये अपराध सर्वाधिक आधुनिक प्रौद्योगिक से युक्त संगठित गैंगों द्वारा किए जाते हैं;

(ग) ऐसे अपराधों में प्रत्यक्षतः लगे हुए अपराधियों तथा राजनीतिज्ञों, विधि प्रवर्तन अभिकरणों के बीच साधारणतः एक गठबंधन होता है;[1]

(घ) ऐसे अपराधों के विरुद्ध कोई संगठित लोक अभिमत नहीं है;

(ङ) पारम्परिक अपराध प्रायः एकाकी अपराध होते हैं जबकि सफेदपोश अपराध समाज के अंगभूत हैं।[2]

1.3. ओषधि व्यापार और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों का अवैध प्रयोग

भारतीय ओषधि व्यापार परिदृश्य का मूलतत्व और उसका विकास, भारत के सामरिक और भौगोलिक अवस्थिति से निकटतः संबद्ध है जिसके कारण "स्वर्ण चन्द्र," जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सम्मिलित हैं, जो विश्व के प्रमुख अवैध ओषधि प्रदायक क्षेत्रों में से एक हैं, से आरंभ

---

1. बारोबालिया जे०एन०; कमेंट्री आन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सबसटेंसेज ऐक्ट, 1985(1992) पृष्ठ 615-616.
2. पूर्वोक्त

होने वाले भारत पाकिस्तान सीमा क पार से हिरोइन और हशीश का व्यापक अन्तःप्रवाह होता है।[1] देश
की उत्तरपूर्व दिशा पर एक "स्वर्ण त्रिकोण" है जिसमें बर्मा, लाओस और थाईलैंड सम्मिलित हैं, जो विश्व
में अवैध अफीम के विशालतम स्रोतों में से एक है।[2] नेपाल भी पत्ती और चरस दोनों रूपों में, कैनेबिस का
एक पारम्परिक स्रोत है।[3] भारत के कुछ राज्यों में भी कैनेबिस की पैदावार होती है। जहां तक भारत से
और भारत के माध्यम से अवैध ओषधि व्यापार का संबंध है, प्रदाय के ये तीनों स्रोत ओषधि व्यापार में
सहायक रहे हैं। स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधिनियम के पूर्व,
स्वापक ओषधियों पर कानूनी नियंत्रण, भारत में अनेक केन्द्रीय और राज्य अधिनियमितियों द्वारा किया
जाता था। इनमें से प्रमुख केन्द्रीय अधिनियम थे, (क) अफीम अधिनियम, 1857 (ख) अफीम
अधिनियम, 1878 और (ग) खतरनाक ओषधि अधिनियम, 1820।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की उद्देशिका में निम्नलिखित उपबंध है :—

"स्वापक ओषधियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, स्वापक ओषधियों
और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए स्वापक ओषधि
और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उसमें प्रयुक्त सम्पत्ति के समपहरण का उपबंध
करने के लिए, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों को
कार्यान्वित करने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए कड़े उपबंध करने के लिए अधिनियम।"

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों और कारणों के कथनों में निम्नवत अधिकथित है :—

"भारत के स्वापक ओषधियों पर कानूनी नियंत्रण अनेक केन्द्रीय और राज्य अधिनियमितियों
के माध्यम से किया जाता है। प्रमुख केन्द्रीय अधिनियम, अर्थात्, अफीम अधिनियम, 1896, अफीम
अधिनियम, 1878 और खतरनाक ओषधि अधिनियम, 1930 काफी समय पहले अधिनिमित
किए गए थे। समय के साथ-साथ तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवैध ओषधि
व्यापार और ओषधि दुरुपयोग के क्षेत्र में, विकास के कारण विद्यमान विधियों में अनेक खामियां
प्रकाश में आई हैं, जिनमें कुछ नीचे उपदर्शित हैं :—

(i) वर्तमान अधिनियमों के अधीन शास्तियों की स्कीम, तस्करों के सुसंगठित गैंगों की
चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से भयोपराधी नहीं हैं। खतरनाक ओषधि
अधिनियम, 1930 में किसी अपराध के लिए जुर्माने सहित या रहित अधिकतम तीन वर्ष
के कारावास की अवधि और उस अपराध की पुनरावृत्ति पर जुर्माने सहित या रहित चार
वर्ष के कारावास की अधिकतम अवधि के लिए उपबंध है और वर्तमान विधियों में कोई
न्यूनतम दंड विहित नहीं है जिसके परिणामस्वरूप, यदाकदा ओषधि व्यापारी न्यायालयों द्वारा
नाममात्र का दंड देकर छोड़ दिए गए हैं। देश गत कुछ वर्षों से लगातार सीमा पार से
ओषधि व्यापार, जो मुख्यतः हमारे कुछ पड़ौसी देशों से आता है और मुख्य रूप से पश्चिमी
देशों के लिए होता है, की बढ़ती हुई समस्या का सामना कर रहा है।

(ii) विद्यमान केन्द्रीय विधियों में अनेक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रवर्तन अभिकरणों, जैसे
स्वापक ओषधि, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आदि के अधिकारियों को, उक्त अधिनियमों
के अधीन अपराधों के अन्वेषण की शक्ति देने का उपबंध नहीं है।

1. एस० वी० जोगा राव, ला एंड पालिसी आन ड्रग ट्रैफिकिंग; ए फैनोमोलाजिकल स्टडी विद स्पेशल रेफ्रेन्स टू बंगलौर सिटी", 35 जे टी एल आई (1993) पृष्ठ 56।

2. पूर्वोक्त।

3. पूर्वोक्त।

(iii) पूर्वोक्त तीन केन्द्रीय अधिनियमों के अधिनियमन से अब तक विभिन्न
अंतरराष्ट्रीय संधियों और नवाचारों के माध्यमों से स्वापक ओषधि नियंत्रण के क्षेत्र में
अंतरराष्ट्रीय विधि का व्यापक निकाय विकसित हो गया है। भारत सरकार इन संधियों
और कन्वेंशनों की एक पक्षकार रही है, जो ऐसी अनेक बाध्यताएं आरोपित करती हैं
जो वर्तमान अधिनियमों के अंतर्गत नहीं आतीं अथवा केवल भागतः ही आती हैं।

(iv) गत कुछ वर्षों के दौरान, व्यसन की कुछ नई ओषधियां इस परिदृश्य पर आ
गई हैं जिन्हें मनःप्रभावी पदार्थ के रूप में जाना जाता है और इन्होंने राष्ट्रीय सरकारों के
सामने गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। भारत में मनःप्रभावी पदार्थों पर नियंत्रण के
प्रयोग को समर्थ बनाने वाली उस रीति में कोई व्यापक विधि नहीं है जो मनःप्रभावी पदार्थ
कन्वेंशन, 1971 में कथित है जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।"

ऊपर जो कुछ कहा गया है उस पर ध्यान देते हुए, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध
में, एक व्यापक विधान के अधिनियमन के लिए अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गई जो अन्य बातों के
साथ-साथ स्वापक ओषधियों से संबंधित विद्यमान विधियों को समेकित और संशोधित करे, ओषधि
दुरुपयोग पर विद्यमान नियंत्रण को सशक्त बनाए, शास्तियों में और विशेष रूप से दुर्व्यापार संबंधी
अपराधों के लिए शास्तियों को पर्याप्त रूप से बढ़ाए, मनःप्रभावी पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग
करने के लिए उपबंध बनाए और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित उन अंतरराष्ट्रीय
कन्वेंशनों के, जिनका भारत एक पक्षकार है, कार्यान्वयन के लिए उपबंध बनाए।

1.4 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार और उपयोग का प्रभाव

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से ओषधि की आदतें बढ़ गई हैं।
भारत के उच्चतम न्यायालय की व्यथा "दूरंड डोडियर बनाम मुख्य सचिव, गोवा संघ राज्यक्षेत्र[1]" के मामले
में निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त की गई थी :—

"गहरी चिन्ता के साथ हम इस ओर संकेत कर रहे हैं कि इस देश में अन्डरवर्ल्ड के संगठित
क्रियाकलापों तथा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों की चोरी छिपे तस्करी तथा ऐसी
ओषधियों तथा पदार्थों के अवैध व्यापार में जन समुदाय के व्यापक भाग में, विशेष रूप से किशोर
किशोरियों तथा छात्र-छात्राओं में ओषधि की आदत बढ़ गई है और हाल के कुछ वर्षों के इस अभिशाप
ने, गंभीर और भयंकर रूप धारण कर लिया है। अतः, प्रभावी नियंत्रण और इस विनाशक विभीषिका
को रोकने तथा समाप्त करने के लिए, जो संपूर्ण समाज पर खतरनाक प्रभाव और भयावह छाप
छोड़ रही है, संसद् में स्वविवेक से आज्ञापक न्यूनतम कारावास और जुर्माना विनिर्दिष्ट करते हुए,
1985 का यह अधिनियम पुरःस्थापित करके प्रभावी उपबंध किए हैं। त्रुटिखंड सहित उच्च
न्यायालय द्वारा यथा उपांतरित 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने के दंड
में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

1.5 फिर भी, 1989 में यथा संशोधित स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के
अधिनियमन के बावजूद ओषधि व्यापार तथा ओषधि दुरुपयोग की विभीषिका बढ़ती जा रही है और इस
अधिनियम के अधीन मामलों में सिद्धदोष की दर अत्यधिक कम है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो
निर्दोष व्यक्ति न्यायालयों में भेजे जा रहे हैं या कुछ प्रक्रियात्मक रुख या खामियां हैं जो अभियुक्त को
न्यायालयों से छुटकारा पाने का फायदा पहुंचाती हैं। देश के विभिन्न भागों में होने वाले ओषधि दुरुपयोग
की बढ़ती हुई घटनाओं पर गहरी चिन्ता और अवैध व्यापार का सामना करने के लिए, विधि और प्रक्रिया
में कमियों को दूर करने तथा अन्य बातों के साथ-साथ ओषधि अपराधियों के साथ प्रभावी तौर पर निपटने
के लिए विधि आयोग ने, स्वप्रेरणा से निम्नलिखित का अध्ययन आरंभ किया है :—

(क) ओषधि दुरुपयोग और ओषधि व्यापार की विभीषिका और भारत में नवयुवकों पर
उसके प्रभाव का अध्ययन करना;

1. ए० आई० आर० 1989 एस० सी० 1966-1971।

(ख) भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के उपबंधों की संवीक्षा करना;

(ग) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार और उपयोग की समस्या का, गंभीरता और साथ ही साथ स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की खामियों को समझना;

(घ) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और न्यायालयों द्वारा उनके निर्वचन की जांच करना; और

(ङ) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित संशोधनों का अभिज्ञान करना।

1.6 इस विषय पर, लोक मत प्राप्त करने के लिए आयोग ने, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से संबंधित एक प्रश्नावली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रारों, उच्च न्यायालय के बार संगमों के अध्यक्षों और जिला न्यायालय बार संगमों, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के गृह सचिवों, पुलिस अधिकारियों और राज्य विधि आयोग के अध्यक्षों को, अध्ययनाधीन विषय के विभिन्न पहलुओं को अधि-कथित करते हुए, परिचालित की थी। प्रश्नावली पर प्राप्त टीका-टिप्पणी का सार उपाबंध 2 में है। आयोग ने, 18 जनवरी, 1997 को पणजी, गोवा में गोवा सरकार के सौजन्य से "दांडिक विधि और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ" विषय पर संगोष्ठी और 22, 23 फरवरी, 1997 को विज्ञान, भवन, नई दिल्ली में "भारत में" दांडिक न्याय के संबंध में, राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की थी। संगोष्ठी में न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं, अधिवक्ताओं, विधि आचार्यों, मजिस्ट्रेटों, लोक अभियोजकों और पुलिस अधिकारियों ने, विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए थे। आयोग ने, यह रिपोर्ट तैयार करते समय, संगोष्ठियों में व्यक्त अभिमतों पर विचार किया है।

अध्याय 2

ओषधि दुरुपयोग और ओषधि व्यापार की विभीषिका

2.1 वैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रयोजन के लिए स्वापक ओषधियों का उपयोग

वैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रयोजन के लिए स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का उपयोग अपरिहार्य है। मारफीन, पैथीडीन और ट्रैंक्वीलाइजर जैसे अनेक जीवन रक्षक ओषधियों के विनिर्माण के लिए ये ओषधियां और पदार्थ आवश्यक हैं। भारत, चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए विश्व के प्रमुख अफीम उत्पादकों में से एक है। वैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के उपयोग के कारण उसके उत्पादन को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है किन्तु सरकार द्वारा उसके अवैध व्यापार और अवैध उपयोग के निवारणार्थ उत्पादन को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है।

2.2 ओषधि दुरुपयोग की विभीषिका

ओषधि का व्यसनी होना आधुनिक काल के अभिशापों में से एक अभिशाप बन गया है, यह ऐसी विभीषिका है जो जन-स्वास्थ्य के लिए भयावह है और इसका परिणाम मानव व्यक्तित्व का विघटन, मानव अवपतन के विभिन्न रूपों के लिए, स्थितियों का संवर्धन है, जिनके परिणाम अपराध और अव्यवस्था का प्रसार है। इनमें से एक खेदजनक स्थिति यह है कि इसका आक्रमण युवकों पर अधिक होता है जो केवल मानसिक व्यामोह और संवेदात्मक विक्षोभ ही नहीं है अपितु वह अपने शिकार को ऐसी दिशा में ले जाता है जहां से शायद ही बचाव की आशा शेष रह पाती है। यह बुराई मायावी है और गुप्त रूप से कार्य करती है और यह बहुधा दूसरों की जानकारी में तभी आती है जब इसका व्यसनी व्यक्ति, लौट न पाने की स्थिति को पार कर लेता है। इसके परिणाम दूरगामी हैं क्योंकि देश की युवापीढ़ी पर आक्रमण करने के कारण यह राष्ट्र के भविष्य की प्रफुल्लता को नष्ट कर देती है। इतिहास में, तस्करी की गई ओषधियों के माध्यम से देश के युवकों को व्यवस्थित रीति से भ्रष्ट करके देश की संस्कृति उसके सामाजिक मूल्य और उसकी अखंडता को जानबूझकर विध्वंस करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। स्वापक ओषधियों के अवैध व्यापार से होने वाले खतरे विश्व स्तर पर पहचान लिए गए हैं और विश्व समुदाय की चेतना इतनी उत्तेजित हो गई है कि अब वे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के विषय बन गए हैं।[1]

ओषधि के व्यसन की समस्या को सुलझाने के लिए, विधि और सामाजिक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, ओषधि का व्यसनी होने का कारण, सुनिश्चित करना आवश्यक है जिन्हें निम्नवत उल्लिखित किया जा सकता है :—

(क) **ओषधि युद्ध** :—कुछ अन्य देशों द्वारा हमारी भूमि पर हमारे व्यक्ति, धन और हमारी सामग्री के साथ ओषधि युद्ध किया जा रहा है। ओषधि का व्यसनी बालक सहजतः अपराधी हो सकता है और ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि भारतीय युवकों को पहले ओषधि का व्यसनी बनाया जाता है और फिर उन्हें भारतीय राज्यक्षेत्र में पुनः भेजते समय ओषधि और आयुध दे दिए जाते हैं जिससे कि वे और लोगों को ओषधि अभ्यस्त बनाने तथा आतंकवादी गतिविधियां पैदा करने के लिए उनका उपयोग कर सकें। अतः इन गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई अपेक्षित है।

(ख) **तस्करों के संगठित गैंग** :—ओषधि की अभ्यस्तता ऐसे तस्करों के गैंगों के कार्य का परिणाम है जो अपनी स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए मांग पैदा करते चाहते हैं और यदि मांग अधिक है तो स्वापक ओषधियों के लिए कीमतें भी अधिक होंगी तथा इस प्रकार तस्कर ओषधि अभ्यस्तता के लिए जिम्मेदार हैं। तस्करों के इस प्रकार के क्रियाकलापों के लिए भी कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

1. आहलूवालिया की कमेंट्री आन द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सब्सटेंसिज ऐक्ट, 1985 (1992) भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक का प्राक्कथन देखिए

(ग) **निजी अथवा कौटुम्बिक कारण** :—औषधि अभ्यस्तता की ओर ले जाने वाले कुछ निजी अथवा कौटुम्बिक कारण हैं जिन्हें नए अनुभव, जिज्ञासा, खराब परिवेश, कौटुम्बिक देखरेख की कमी, अनुशासन का अभाव, हिप्पी अथवा कुलीन पंथ (पियरकल्ट) कहा जा सकता है जिसमें लोग जीवन की वास्तविकताओं से बचते हैं और कुछ आनंददायक और रोमांचकारी अनुभव पा लेते हैं। इस प्रकार की औषधि अभ्यस्तता में सुधारात्मक पहुंच आवश्यक है जिससे अभ्यस्त व्यक्ति को जीवन की प्रमुख धारा में लौटाया जा सके।[1]

2.3 औषधि व्यापार की विभीषिका

अवैध औषधि व्यापार का अर्थ है बहुत कम समय में अत्यधिक धन एकत्रित करना जो कपटपूर्ण कृत्य है और जिसे कोई भी समाज क्षमा नहीं कर सकता। अवैध औषधि के व्यापारियों को "मृत्यु और विनाश के व्यवसायी" कहा गया है। हत्या से एक या दो व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है जबकि औषधि व्यापारी एक ही समय में ऐसे हजारों बालक-बालिकाओं के जीवन को नष्ट करता है जिन्हें वह औषधि प्रदत्त करता है। वह उन्हें ऐसी स्थिति की ओर धकेल देता है जहां से कोई वापसी नहीं है और इस प्रकार वह केवल उनका और उनके कुटुम्बों का ही विनाश करता है।

2.4 औषधि दुरुपयोग और एड्स :

औषधि दुरुपयोग की विभीषिका हाल में भारत के एच आई वी वायरस के फैलने के कारण और भी गम्भीर हो गई है। एड्स के शिकारों में से 80 प्रतिशत को औषधि दुरुपयोग के साथ जोड़ा जा सकता है। एच आई वी तीन प्रकार से हो सकती है। (क) संभोग से, (ख) रक्त से, और (ग) एच आई वी से पीड़ित माता-पिता से जन्म द्वारा। जहां तक संभोग के माध्यम से एच आई वी होने का संबंध है, औषधि के अभ्यस्त इसके शीघ्र शिकार होते हैं, क्योंकि औषधि का अभ्यस्त बालक या बालिका कोई भी कीमत अदा कर सकती है और असाधारणतापूर्वक लैंगिक दुरुपयोग में लगने की सीमा तक भी जा सकती है। एच आई वी रक्त के माध्यम से भी जब सूई का प्रयोग किया जाए औषधि अभ्यस्त व्यक्तियों द्वारा अर्जित की जा सकती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब औषधि के व्यसनी व्यक्ति उत्तेजना और शीघ्र प्रभाव पाने के लिए अंतःशिरा इंजक्शन लगवाते हैं और ऐसे अभ्यस्त व्यक्ति सामान्यतः उस प्रक्रम पर इतने मानसिक रूप से त्रस्त स्वस्थ नहीं रह जाते और वे उस समय उपलब्ध किसी सूई का प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार एच आई वी हो सकती है यदि उस सूई को पहले ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया हो जो एच आई वी से ग्रस्त था।

2.5 मूल्यांकन

"स्वर्ण त्रिकोण" और "स्वर्ण चन्द्र" के बीच भारत की भौगोलिक अवस्थिति के कारण उसमें औषधि दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार से निपटना आवश्यक है क्योंकि ये दोनों, अवैध अफीम और उसके उत्पादों के प्रमुख स्रोत हैं और उनके बाजार पश्चिमी देश हैं। अतः, मध्य मार्ग होने के कारण भारत में इसका खतरा बना रहता है क्योंकि उसका अपना संघात और स्थानीय प्रभाव है। विशेष रूप से, युवकों पर क्योंकि उनके लिए पदार्थ अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अतः, यह आवश्यक है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में उपयुक्त संशोधन लाकर और इस विभीषिका का मुकाबला करने के लिए उसे और प्रभावी बनाकर, कठोर उपाय किए जाएं।

---

1. आरोग्यालिया जी.एन.के
   सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पालिसी एकेडमी हैदराबाद में (3 मई, 1974) में आयोजित औषधि दुरुपयोग संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी में व्याख्यान। (अप्रकाशित)।

अध्याय 3

औषधि संबंधी संवैधानिक तथ्य और अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन

3.1 राज्य की नीति के निदेशक तत्व

भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य की नीति के निदेशक तत्व, संविधान के अनुच्छेद 37 में यथा अधिकथित देश के शासन में मूलभूत हैं। अनुच्छेद 37 नीचे उद्धृत है :

"इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।"

निदेशक तत्वों का पूर्त और असंकाम्य रूप में वर्णन किया जा सकता है क्योंकि वे उन नीतियों और कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें राज्य को प्राप्त करना चाहिए। जबकि मूल अधिकार, राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित करते हैं कि वह उनका उल्लंघन न करे, राज्य की नीति के निदेशक तत्व राज्य पर यह तत्संबंधी तत्व अधिरोपित करते हैं कि वह जनता के कल्याणार्थ विधियां बनाने में उनको लागू करे। मूल अधिकारों और राज्य की नीति निदेशक तत्वों, दोनों में अंतर्निहित उद्देश्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे साथ-साथ हैं, उस प्रकार के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस प्रकार के समाज का हम भारत में सृजन करना चाहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में से एक में निम्नवत अधिकथित है :

> "राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।"

3.2 स्वापक औषधि संबंधी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, 1912–53

अफीम और अन्य स्वापक औषधियों के प्रदाय का नियंत्रण और विनियमन करने के लिए 1912-53 के बीच निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हुए थे –

1912 अंतरराष्ट्रीय अफीम कन्वेंशन (हेग 2-3-1912)

1925 निर्मित अफीम के विनिर्माण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उपयोग की बाबत करार (जनेवा 13-7-1925)

1931 स्वापक औषधि के विनिर्माण और वितरण से संबंधित कन्वेंशन (जनेवा 13-7-1931) सुदूर पूर्व में अफीम पीने की बाबत करार (बैंकाक 27-11-1931)

1936 खतरनाक औषधि में अवैध व्यापार को रोकने के लिए कन्वेंशन (जनेवा 26-6-1936)

1946 वर्ष 1992, 1925, 1931 और 1936 की लिखतों का संशोधन कार्य प्रोटोकॉल (लेक सक्सेस 11-12-1946)

1948 वर्ष 1931 के कन्वेंशन का सिंथेटिक स्वापक औषधियों पर विस्तार संबंधी प्रोटोकॉल (पैरिस 19-11-1948)

1953 अफीम पोस्त की खेती-बाड़ी तथा अफीम के उत्पादन, व्यापार संबंधी कन्वेंशन

3.3 स्वापक औषधि संबंधी एकल कन्वेंशन 1961

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सफेदपोश अपराध बहुत ही संकटपूर्ण बन गए हैं। सफेदपोश अपराधों के अधीन "औषधि अभ्यस्तता" और "स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार" ऐसी विभीषिका बन गई है कि स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार से आने वाले खतरों ने विश्व समुदाय को प्रभावित किया है और वे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के विषय बन गए हैं। भारत, "स्वापक औषधि संबंधी एकल कन्वेंशन, 1961" का एक पक्षकार है जिसकी उद्देशिका में, संक्षिप्त रूप में, निम्नलिखित शब्दों में स्वापक औषधियों के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावी उपायों के महत्व का उल्लेख किया गया है :

"मानव स्वास्थ्य और कल्याण से संबद्ध प्रिय पक्षकार,

यह मानते हुए कि कष्ट और पीड़ा से छुटकारे के लिए स्वापक औषधियों का चिकित्सीय उपयोग अपरिहार्य बना रहना है और ऐसे प्रयोजनों के लिए स्वापक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपबंध बनाए जाने चाहिएं,

यह मानते हुए कि स्वापक औषधियों की अभ्यस्तता व्यक्ति के लिए एक गंभीर बुराई है और इससे मानवता के प्रति सामाजिक और आर्थिक खतरे की आशंका है।

इस बुराई के निवारण और उसका मुकाबला करने के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहकर,

यह विचार करते हुए कि स्वापक औषधियों के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावी उपायों के लिए सहयोजित और सार्वभौमिक कार्रवाई अपेक्षित है,

यह समझते हुए कि ऐसी सार्वभौमिक कार्रवाई के लिए, एक ही सिद्धांत तथा सामान्य उद्देश्य के लक्ष्य द्वारा मार्गदर्शित अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है,

स्वापक औषधि नियंत्रण के क्षेत्र में, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्षमता को स्वीकार करते हुए और इस बात की इच्छा रखते हुए कि संबद्ध अंतरराष्ट्रीय अंगों को उस संगठन के ढांचे के भीतर होना चाहिए।

स्वापक औषधियों से संबंधित विद्यमान संधियों को प्रतिस्थापित कर साधारणत: स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के निश्चय की इच्छा रखते हुए, ऐसी औषधियों को चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग तक सीमित करते हुए और ऐसे लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नियंत्रण के लिए उपबंध करते हुए"।

कन्वेंशन ने, अनुच्छेद में यह अधिकथित करने के पश्चात् कि पक्षकार को विधिक प्राधिकार के बिना औषधियों को कब्जे में रखने की अनुज्ञा नहीं दी, अनुच्छेद 35 में अवैध व्यापार के विरुद्ध कार्यवाही के लिए और कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 में दांडिक उपबंध के लिए व्यवस्था की, जो निम्नवत है :–

अनुच्छेद 35

"अवैध व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई

पक्षकार अपने संवैधानिक विधिक और प्रशासनिक प्रणालियों को सम्यक्त: ध्यान में रखते हुए :–

(क) राष्ट्रीय स्तर पर अवैध व्यापार के विरुद्ध निवारक और निरोधक कार्रवाई के सहयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था करेंगे, इस उद्देश्य के लिए वे ऐसे सहयोग के लिए एक उत्तरदायी समुचित अभिकरण सहजत: नामित कर सकेंगे ;

(ख) स्वापक औषधियों में अवैध व्यापार के विरुद्ध अभियान में एक दूसरे की सहायता करेंगे ;

(ग) एक दूसरे के साथ और उन सारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ, जिनके सदस्य हैं, अवैध व्यापार के विरुद्ध सहयोजित अभियान चलाने की दृष्टि से, निकटत: सहयोग करेंगे ;

(घ) यह सुनिश्चित करेंगे कि समुचित अभिकरणों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग शीघ्रता पूर्वक किया जाता है, और

(ङ) यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां विधिक कागजात अभियोजन के प्रयोजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से संप्रेषित किए जाते हैं वहां ऐसा संप्रेषण पक्षकारों द्वारा अभिहित निकायों को त्वरित रीति से किया जाएगा, यह अपेक्षा किसी पक्षकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, वह यह अपेक्षा करे कि विधिक कागजात उसे राजनयिक चैनल के माध्यम से भेजे जाएं ।

अनुच्छेद 36

दांडिक उपबंध

1. (क) प्रत्येक पक्षकार अपनी संवैधानिक सीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे उपाय अपनाएगा जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कन्वेंशन के उपबंधों के प्रतिकूल, औषधियों की खेतीबाड़ी, उत्पादन, विनिर्माण, निस्सारण, निर्मिति, कब्जा, पेश करना, विक्रय के लिए पेश करना, वितरण, क्रय, विक्रय, किसी भी शर्त पर परिदान, वह चाहे जो भी हो, दलाली, प्रेषण, पारेषण में प्रेषण, परिवहन, निर्यात और आयात तथा कोई अन्य कार्रवाई जो ऐसे पक्षकार की राय में इस कन्वेंशन के उपबंधों के प्रतिकूल हो सकती है, सामर्थ किए जाने पर दंडनीय अपराध होगी और वह गंभीर अपराध पर्याप्त दंड के, विशेष रूप से कारावास या स्वतंत्रता के अपवंचन की अन्य शास्तियों के लिए दायी होंगे।

(ख) पूर्ववर्ती उपपैरा में किसी बात के होते हुए भी, जब औषधि के दुरुपयोगकर्ताओं ने ऐसा अपराध किया है तो पक्षकार या तो दोषसिद्ध अथवा दंड के साथ-साथ यह उपबंध कर सकेंगे कि ऐसे दुरुपयोगकर्ता, अनुच्छेद 38 के पैरा (1) के अनुरूप उपचार, शिक्षा, पश्च देखरेख, पुनर्वास और सामाजिक पुन: समेकन के उपायों के अधीन होंगे।

2. किसी पक्षकार की संवैधानिक सीमाओं, विधिक प्रणाली और गृह विधि के अधीन रहते हुए, —

(क) (i) पैरा 1 में वर्णित प्रत्येक अपराध, यदि विभिन्न देशों में किया जाता है तो विशिष्ट अपराध के रूप में माना जाएगा ;

(ii) ऐसे किसी अपराध में अपराध करने या करने के प्रयास के षड्यंत्र में सामर्थ भागीदारी और इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, आरंभिक कृत्य और वित्तीय व्यवस्था, पैरा 1 में यथा उपबंधित दंडनीय अपराध होंगे ;

(iii) ऐसे अपराधों के लिए विदेशी दोषसिद्धि, अपराध व्यसन स्थापित करने के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा; और

(iv) इसमें इसके पूर्व निर्देशित गंभीर अपराध, चाहे राष्ट्रिकों द्वारा या विदेशों द्वारा, उस पक्षकार द्वारा अभियोजित किए जाएंगे जिसके राज्यक्षेत्र में अपराध किया गया था या उस पक्षकार द्वारा जिसके क्षेत्र में अपराधी पाया जाता है, यदि उस पक्षकार की विधि के अनुरूप, जिसको आवेदन किया जाता है, प्रत्यर्पण ग्राह्य नहीं है और यदि ऐसा अपराधी पहले ही अभियोजित नहीं किया गया है और निर्णय नहीं दिया है।

(ख) (i) इस अनुच्छेद के पैरा 1 और पैरा 2 (क) (ii) में प्रगणित प्रत्येक अपराध, पक्षकारों के बीच विद्यमान किसी प्रत्यर्पण संधि में प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में शामिल किया गया समझा जाएगा। पक्षकार उनके बीच होने वाली किसी प्रत्यर्पण संधि में ऐसे अपराधों को प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में सम्मिलित करने का वचन देते हैं ;

(ii) यदि किसी पक्षकार को, जो किसी संधि की विद्यमानता पर सशर्त प्रत्यर्पण करता है, ऐसे अन्य पक्षकार से, जिसके साथ उसकी प्रत्यर्पण संधि नहीं है, प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त करता है तो वह स्वविकल्प पर, इस कन्वेंशन को, इस अनुच्छेद के पैरा 1 और पैरा 2 (क) (ii) में प्रगणित अपराधों की बाबत प्रत्यर्पण के लिए विधिक आधार के रूप में मान सकता है। प्रत्यर्पण, अनुरोध किए गए पक्षकार की विधि द्वारा उपबंधित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए होगा ;

(iii) ऐसे पक्षकार, जो किसी संधि की विद्यमानता पर सशर्त प्रत्यर्पण नहीं करते हैं, इस अनुच्छेद के पैरा 1 और पैरा 2 (क) (ii) में प्रगणित अपराधों को अनुरोध किए गए पक्षकार को विधि द्वारा उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए, अपने बीच प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में मान्यता देंगे ; और

(iv) प्रत्यर्पण, उस पक्षकार की, जिसको आवेदन किया जाता है, विधि के अनुसार, मंजूर किया जाएगा और इस पैरा के उपपैरा (ख) (i), (ii) और (iii) के होते हुए भी, पक्षकार को ऐसे मामलों में, जहां सक्षम प्राधिकारी यह समझते हैं कि अपराध पर्याप्ततः गंभीर नहीं है, प्रत्यर्पण नामंजूर करने का अधिकार होगा ।

3. इस अनुच्छेद के उपबंध अधिकारिता के प्रश्न पर संबद्ध पक्षकार की दांडिक विधि के उपबंधों के अध्यधीन होंगे ।

4. इस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट कोई बात इस सिद्धांत पर प्रभाव नहीं डालेगी कि वे अपराध, जिन्हें यह निर्देश करती है, पक्षकार की गृह विधि के अनुसार परिभाषित, अभियोजित और दंडित किए जाएंगे ।

3.4 मनः प्रभावी पदार्थ संबंधी कन्वेंशन, 1971

इसके पश्चात्, मनःप्रभावी पदार्थ संबंधी कन्वेंशन, 1971 अपनाया गया था, जिसका भारत एक पक्षकार है और उक्त कन्वेंशन की उद्देशिका में निम्नवत उपबंधित है :—

"मानव स्वास्थ्य और कल्याण से संबद्ध पक्षकार

कतिपय मनः प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप, लोक स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं को चिन्ता सहित नोट करते हुए ;

ऐसे पदार्थों के दुरुपयोग की ओर उस अवैध व्यापार को, जिसे यह जन्म देता है, रोकने और उसका मुकाबला करने का अवधारण करें ।

यह विचार करते हुए कि विधिमान्य प्रयोजनों के लिए ऐसे पदार्थों का उपयोग निर्बंधित करने के लिए कठोर उपाय आवश्यक हैं ;

यह विश्वास करते हुए कि ऐसे पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावी उपायों के लिए सहयोजन और सार्वभौमिक कार्रवाई आवश्यक है;

यह स्वीकार करके कि मनःप्रभावी पदार्थों के नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम और इच्छुक है कि संबद्ध अंतरराष्ट्रीय अंग उस संगठन के ढांचे के भीतर होने चाहिए ;

यह मानते हुए कि इन प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन आवश्यक है ;

मनः प्रभावी पदार्थों की निर्मितियों के नियंत्रण की बाबत, विशेष उपबंधों के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् कन्वेंशन के अनुच्छेद 20 में मनः प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध उपायों, अनुच्छेद 21 में अवैध व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई, अनुच्छेद 22 में शास्ति उपबंध के लिए व्यवस्था निम्नलिखित शब्दों में की गई है :—

अनुच्छेद 20

मनः प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध उपाय

1. पक्षकार, मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग के निवारण के लिए, अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के शीघ्र अभिज्ञान, उपचार, शिक्षा, पश्च देखरेख, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए सभी व्यवहार्य उपाय करेंगे और इन लक्ष्यों के लिए अपने प्रयास सहयोजित करेंगे ।

2. पक्षकार, जहां तक संभव हो, मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोगकर्ताओं के उपचार, पश्च देखरेख, पुनर्वास और पुनः एकीकरण में कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देंगे ।

3. पक्षकार ऐसे व्यक्तियों को सहायता देंगे जिनका कार्य मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या को और उसके निवारण को समझ पाने की इस प्रकार अपेक्षा करता है और यदि ऐसी जोखिम है कि ऐसे पदार्थों का दुरुपयोग अत्यधिक व्यापक हो जाएगा, तो जनसाधारण के मध्य ऐसी समझ का उन्नयन करेंगे ।

अनुच्छेद 21

अवैध व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई

पक्षकार, अपने संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक प्रणाली को सम्यक्तः ध्यान में रखते हुए,

(क) अवैध व्यापार के विरुद्ध निवारक निरोधक कार्रवाई के सहयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था करेंगे, इस लक्ष्य के लिए, वे ऐसे सहयोजन के लिए उत्तरदायी समुचित अभिकरण को सफलतापूर्वक अभिहित कर सकेंगे ;

(ख) मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध अभियान में एक दूसरे की सहायता करेंगे और विशेष रूप से, किसी अवैध व्यापार की खोज या जब्ती के संबंध में, अनुच्छेद 16 के अधीन महासचिव को संबोधित किसी रिपोर्ट की प्रति राजनयिक चैनल या इस प्रयोजन के लिए पक्षकारों द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्षतः संबद्ध अन्य पक्षकारों को तत्काल संप्रेषित करेंगे.

(ग) अवैध व्यापार विरुद्ध के समन्वित अभियान बनाए रखने की दृष्टि से, एक दूसरे के साथ और उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ, जिनके वे सदस्य हैं, सहयोग करेंगे;

(घ) यह सुनिश्चित करेंगे कि समुचित अभिकरणों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोजन शीघ्रतापूर्वक हो ;

(ङ) यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां विधिक दस्तावेज, न्यायिक कार्यवाही के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से संप्रेषित किए जाते हैं, वहां संप्रेषण पक्षकारों द्वारा अभिहित निकायों को शीघ्रतापूर्ण रीति से प्रभावी किए जाएं, यह अपेक्षा किसी पक्षकार के इस अपेक्षा करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी कि उसे विधिक दस्तावेज राजनयिक चैनल के माध्यम से भेजे जाएं ।

अनुच्छेद 22

दांडिक उपबंध

1. (क) प्रत्येक पक्षकार अपनी संवैधानिक सीमाओं के अधीन रहते हुए, कोई कार्य, जब साशय इस कन्वेंशन के अधीन उसकी बाध्यताओं के अनुसरण में अपनाई गई विधि या विनियम के प्रतिकूल किया जाता है तो उसे दंडनीय अपराध मानेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गंभीर अपराध, पर्याप्त दंड विशेष रूप से, कारावास के या स्वतंत्रता के अपवंचन की अन्य शास्ति के दायी होंगे ।

(ख) पूर्ववर्ती उपपैरा के होते हुए भी, जब मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोगों ने, ऐसे अपराध किए हैं तब पक्षकार या तो दोषसिद्धि या दंड के विकल्प के रूप में या ऐसे दंड के साथ-साथ यह उपबंध सकेंगे कि एक दुरुपयोगकर्ता अनुच्छेद 20 के पैरा 1 अनुरूप उपचार, शिक्षा, पश्च देखरेख, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए उपबंध कर सकेंगे ।

2. किसी पक्षकार को संवैधानिक सीमाओं, उसकी विधिक प्रणाली और गृह विधि के अधीन रहते हुए :— (क) (i) यदि पैरा 1 के अधीन अपराध गठित करने वाले संगत कार्यों की श्रृंखला किसी भिन्न देश में कारित की गई है तो उनमें से प्रत्येक कार्य को एक विशिष्ट अपराध माना जाएगा ।

(ii) ऐसा कोई अपराध करने के लिए प्रयास किया गया षड्यंत्र जो साझे भागीदारी में हुआ हो तथा इस अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंधों में, आरंभिक कार्य और वित्तीय सहायता, पैरा 1 में या उपबंधित दंडनीय अपराध होंगे।

(iii) ऐसे अपराधों के लिए विदेश में हुई दोषसिद्धि अपराध व्यसन स्थापित करने के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी ; और

(iv) इसमें इसके पूर्व किए गए निर्दिष्ट गंभीर अपराध, चाहे राष्ट्रिकों द्वारा या विदेशियों द्वारा किए गए हों, उस पक्षकार द्वारा जिसके राज्यक्षेत्राधिकार में अपराध हुआ था या उस पक्षकार द्वारा जिसके राज्यक्षेत्र में अपराधी पाया गया है, यदि प्रत्यर्पण उस राज्य की विधि के अनुरूप स्वीकार्य नहीं है जिसका आवेदन किया जाता है और यदि ऐसा अपराधी पहले ही अभियोजित नहीं किया जा चुका है और दंड नहीं दिया जा चुका है तो अभियोजित किया जाएगा।

(ख) यह वांछनीय है कि पैरा 1 और पैरा 2(क) (ii) में निर्दिष्ट अपराध किसी ऐसी प्रत्यर्पण संधि में प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में शामिल किए जाएं जो किन्हीं पक्षकारों के बीच हुई है या इसके पश्चात् ही और ऐसे पक्षकारों में से किन्हीं के बीच जो किसी संधि की विद्यमानता पर या उसकी विषयवस्तु पर सशर्त प्रत्यर्पण नहीं करते हैं इसे प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में मान्यता दी जाए :

परन्तु, प्रत्यर्पण उस पक्षकार की विधि के अनुरूप नहीं किया जाएगा जिसको आवेदन किया जाता है और पक्षकार को ऐसे मामलों में गिरफ्तारी प्रभावी कराने या प्रत्यर्पण मंजूर करने से इंकार करने का अधिकार होगा जहां सक्षम प्राधिकारी समझते हैं कि अपराध पर्याप्त रूप से गंभीर नहीं है।

3. पैरा 1 और 2 में निर्दिष्ट कोई अपराध करने के लिए प्रयुक्त या आशयित कोई मनःप्रभावी पदार्थ या अन्य पदार्थ, साथ ही कोई उपस्कर जब्ती और सपहरण का दायी होगा।

4. इस अनुच्छेद के उपबंध, अधिकारिता के प्रश्न पर, संबद्ध पक्षकार की गृह विधि के उपबंधों के अधीन होंगे।

5. इस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट कोई बात इस सिद्धांत पर प्रभाव नहीं डालेगी कि जो अपराध उसमें निर्दिष्ट हैं वे पक्षकार की गृह विधि के अनुरूप परिभाषित, अभियोजित और दंडित किए जाएंगे।

3.5 स्वापक ओषधि संबंधी एकल कन्वेंशन का संशोधनकारी प्रोटोकाल, 1972 (जनेवा 25.3.1972)

समय के बीतने के साथ यह पाया गया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वापक ओषधियों का अवैध व्यापार और अवैध उपयोग बढ़ रहा है और इसीलिए स्वापक ओषधि संबंधी एकल कन्वेंशन, 1961 के संशोधन का विचार करने के लिए संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा संकल्प अपनाए गए थे और निम्नलिखित संकल्प 2 और 3 पारित किए गए थे।

संकल्प 2

स्वापक ओषधि नियंत्रण में सहायता

यह महसूस करते हुए कि विकासशील देशों को सहायता, सभी लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के संवर्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में में अंतर्विष्ट प्रतिबद्धता का सम्मान करने की अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इच्छा की ठोस अभिव्यक्ति है ;

याद रखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए तकनीकी सहायता के उपबंध की दृष्टि से, उसके संकल्प 1295(14) के अधीन विशेष व्यवस्थाएं की गई थी।

यह स्वीकार करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प, 2719(25) के अनुसरण में, ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निधि स्थापित की गई थी।

यह नोट करते हुए कि सम्मेलन ने स्वापक ओषधि संबंधी एकल कन्वेंशन, 1961 के उपबंधों के और प्रभावी निष्पादन को बढ़ावे के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता से संबंधित एक नया अनुच्छेद अंगीकार किया था, ; सम्मेलन–

1. यह घोषणा करता है कि और प्रभावी होने के लिए, ओषधि दुरुपयोग के विरुद्ध किए गए उपाय समन्वित और सार्वभौमिक होने चाहिएं ;

2. यह और घोषणा करता है कि कन्वेंशन के अधीन विकासशील देशों द्वारा उनकी बाध्यताओं का पूरा किया जाना, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय सहायता द्वारा सुकर हो जाएगा।

संकल्प 3

ओषधि व्यसन के विरुद्ध सामाजिक स्थिति और संरक्षण

यह स्मरण करते हुए कि स्वापक ओषधि संबंधी एकल कन्वेंशन, 1961 की उद्देशिका में यह कथित है कि कन्वेंशन के पक्षकार "मानव स्वास्थ्य और कल्याण" से सम्बद्ध हैं और वे "ओषधि व्यवसन की बुराई" के निवारण और उसका मुकाबला करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति जागरुक हैं।

यह विचार करते हुए कि सम्मेलन में हुई परिचर्चा में ओषधि व्यसन के निवारण के लिए प्रभावी कदम उठाने की इच्छा का साक्ष्य लिया है।

यह विचार करते हुए कि ओषधि व्यसन एक ओर वैयक्तिक पतन और सामाजिक विघटन की ओर ले जाता है और बहुधा ऐसा होता है कि वे दुखद सामाजिक और आर्थिक स्थितियां, जिनमें कतिपय व्यक्ति और कतिपय समूह रहते हैं, उन्हें ओषधि व्यसन की ओर ले जाता है।

यह मानते हुए कि सामाजिक उपादानों को व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार का एक निश्चित और कभी-कभी निश्चित और अत्यधिक प्रभाव होता है।

सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि :–

1. पक्षकारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ओषधि व्यसन बहुधा उस अस्वस्थ सामाजिक परिवेश का परिणाम है जिसमें वे लोग रहते हैं जो ओषधि दुरुपयोग के खतरे के अति निकट हैं।

2. पक्षकारों को जो कुछ भी उनकी शक्ति के भीतर है वह सब ओषधि के दुरुपयोग का प्रसार रोकने के लिए करना चाहिए।

3. पक्षकारों को युवावर्ग के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आवश्यक मनोरंजन और अन्य गतिविधियों का विकास करना चाहिए।

सत्तर के दशक के दौरान, ओषधि समस्याओं की तीव्र वृद्धि की आशंका के कारण महासभा द्वारा 1981 में एक अंतरराष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण नीति और एक पंचवर्षीय कार्य योजना (1982–1986) तैयार करनी पड़ी उसमें ओषधि नियंत्रण, व्यापार और व्यसनियों के उपचार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित नीति गत उपायों की शृंखला का एक उपबंध है। छह-सूत्रीय रणनीति में, (i) विद्यमान संधियों के व्यापक समर्थन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय ओषधि नियंत्रण प्रणाली को सुधारना, (ii) विधिमान्य उपयोग के लिए ओषधियों की पूर्ति और मांग के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सहयोजित प्रयास करना, (iii) अवैध ओषधि व्यापार के उन्मूलन के लिए कदम उठाना जिसमें अवैध ओषधि उपार्जकों के लिए वैकल्पिक आय साधनों की खोज करना भी है, (iv) गुप्त प्रयोगशालाओं और व्यापारिक संगठनों को खोजने तथा समाप्त करने के लिए सघन प्रयास करना, और

(v) ओषधि दुरुपयोग निवारण के उपाय करने तथा ओषधि दुरुपयोगकर्ताओं के उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण का संवर्धन करना, कार्य योजना ने संयुक्त राष्ट्र संघ और सदस्य सरकारों के लिए इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप अधिकथित किए। स्वापक ओषधि आयोग को उनके कार्यान्वयन को मानीटर करने और सहयोजित करने के लिए कहा गया है।[1]

ओषधि व्यापार और ओषधि दुरुपयोग संबंधी 1984 की घोषणा में ओषधि व्यापार और ओषधि दुरुपयोग को "एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधि" के रूप में अनेक देशों की "सुरक्षा और विकास" तथा लोगों के लिए गंभीर खतरा कहा गया है जिसका मुकाबला सभी नैतिक, विधिक संस्थागत साधनों, द्वारा, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। इसमें इस बुराई उन्मूलन को सभी राज्यों का सामूहिक दायित्व बताया और सदस्य राज्यों को उस क्षेत्र में उनके प्रयासों को सघन बनाने तथा उनकी रणनीतियों को सहयोजित करने की पुष्टि की।[2]

और स्वापक ओषधि आयोग से 1984 में, यह कहा गया कि वह उन क्षेत्रों के लिए, जो विद्यमान लिखत द्वारा अपर्याप्तत: आच्छादित प्रतीत होते हैं, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के विरुद्ध एक नया अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन तैयार करना आरंभ करे।[3]

3.6 स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार के विरुद्ध कन्वेंशन, 1988 (वियना 20.12.1988)

अन्तत:, 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध कन्वेंशन आयोजित किया गया और उक्त कन्वेंशन की उद्देशिका में स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार पर निम्नलिखित शब्दों में गहरी चिन्ता व्यक्त की गई :

"इस कन्वेंशन के पक्षकार, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध उत्पादन, मांग और व्यापार की मात्रा और बढ़ते हुए व्यसन से अत्यधिक व्यथित हैं जो मानव स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति एक गंभीर खतरा है तथा समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ;

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक समूहों में त्वरित आंतरिक वृद्धि द्वारा और विशेष रूप से, इस तथ्य द्वारा कि विश्व के अनेक भागों में अवैध ओषधि उपभोक्ता बाजार के रूप में तथा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध उत्पादन, वितरण और व्यापार के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग किया जाता है, भी अत्यधिक व्यथित हैं, जो कि अपरिकलनीय गुरुता का खतरा पैदा करता है ;

यह मानते हुए कि अवैध व्यापार और अन्य संबद्ध संगठित दांडिक क्रियाकलापों के बीच संपर्क है जो अवैध अर्थनीति का अवमूल्यन करते हैं तथा राज्यों की स्थिरता, सुरक्षा और सम्प्रभुता के लिए इस संपर्क को समाप्त किया जाना आवश्यक है ;

यह भी मानते हुए कि अवैध व्यापार एक अंतरराष्ट्रीय दांडिक गतिविधि है जिसके दमन के लिए त्वरित ध्यान और सर्वोच्च प्राथमिकता आवश्यक है ;

इस बात के जानकार हैं कि अवैध व्यापार अत्यधिक वित्तीय फायदा और सम्पत्ति देता है जो सम्प्रेषणीय दांडिक संगठनों को सरकार की संरचना का तथा वैध वाणिज्यिक और वित्तीय कारबार और समाज को उसके सभी स्तरों पर भेदन करने, सामना करने और भ्रष्ट करने में समर्थ बनाती है ;

यह विनिश्चय करके कि अवैध व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों को उनकी दांडिक गतिविधियों के आगमों से अपवंचित करना है और उसके द्वारा ऐसा करने के उनके प्रमुख प्रोत्साहन को समाप्त करना है ;

1. एस० वी०जोगाराव. "ड्रग एबीवशन पैनल पालिसी" 34 जे आई एल आई (1992) पृष्ठ 277–278.
2. यथोक्त
3. यथोक्त

यह इच्छा करके कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या क मूल कारणों को समाप्त करना है जिसमें ऐसी ओषधि और अवैध पदार्थों की मांग और अवैध व्यापार से उपाप्त प्रचुर लाभ भी हैं ;

यह विचार करके कि कतिपय पदार्थों, जिनमें, पुरोवर्ती रसायन और विलेयक हैं, जिनका स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थों के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है और जिनकी तुरंत उपलभ्यता में ऐसी ओषधि और पदार्थों के गुप्त विनिर्माण में वृद्धि को बढ़ावा दिया है, को मानीटर करने के लिए उपाय आवश्यक हैं ;

यह विनिश्चय करके कि समुद्र द्वारा अवैध व्यापार के दमन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुधारना है।

यह मानते हुए कि अवैध व्यापार का उन्मूलन सभी राज्यों का सामूहिक दायित्व है और उस लक्ष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ढांचे के भीतर सहयोजित कार्रवाई आवश्यक है ;

यह स्वीकार करते हुए कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है और यह चाहता है कि ऐसे नियंत्रण से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय अंगों को उस संगठन के ढांचे के भीतर होना चाहिए ;

स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थ के क्षेत्र में विद्यमान संधियों के मार्गदर्शी सिद्धांतों और नियंत्रण की उस प्रणाली की, जो उनमें उल्लिखित है, पुन: पुष्टि करते हुए ;

यह मानते हुए कि अवैध व्यापार के परिमाण और विस्तार तथा उनके गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए स्वापक ओषधि संबंधी एकल कन्वेंशन, 1961, स्वापक ओषधि संबंधी एकल कन्वेंशन, 1961 का संशोधनकारी प्रोटोकाल, 1972 तथा मन: प्रभावी पदार्थ कन्वेंशन, 1972 में उपबंधित उपायों को पुन: प्रवर्तित करना और अनुपूरित करना आवश्यक है ;

यह भी मानते हुए कि अवैध व्यापार को अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को दबाने के लिए दांडिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रभावी विधिक साधनों को सशक्त बनाना और बढ़ाना महत्वपूर्ण है ;

यह चाहते हुए कि एक व्यापक प्रभावी और प्रवर्तनशील अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन बनाना है जो विनिर्दिष्ट रूप से अवैध व्यापार के विरुद्ध हो और यह समझे कि समग्र समस्या के विभिन्न पहलू और विशिष्टत: वे पहलू समझे जो स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के क्षेत्र में विद्यमान संधियों में उपवर्णित नहीं हैं।"

कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 में अपराधों और दंडों के लिए निम्नवत उपबंध हैं:—

अनुच्छेद 3

अपराध और दंड

1. प्रत्येक पक्षकार ऐसे उपाय अंगीकृत करेगा, जो उसकी गृह विधि के अधीन, जब साशय किए जाएं निम्न को दाण्डिक अपराधों के रूप में सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो :—

(क) (i) 1961 के कन्वेंशन, यथा संशोधित 1961 के कन्वेंशन या 1971 के कन्वेंशन के प्रतिकूल किसी स्वापक ओषधि या मन: प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, निस्सारण, निर्मित, आफर, विक्रय के लिए आफर, वितरण, विक्रय, किसी भी रूप में परिदान चाहे जो भी हो, दलाली प्रेषण, पारेषण में प्रेषण, परिवहन, आयात या निर्यात ;

(ii) 1961 के कन्वेंशन और यथासंशोधित 1961 के कन्वेंशन के उपबंध के प्रतिकूल, स्वापक ओषधि के उत्पादन के प्रयोजन के लिए अफीम पोस्त, कोका के पौधे या कैनेबिस पौधे की खेतीबाड़ी ;

(iii) ऊपर (i) में प्रगणित किसी भी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए, किसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का कब्जा या क्रय ;

(iv) सारणी 1 और 2 में उल्लिखित किसी उपस्कर, सामग्री या पदार्थ का यह जानते हुए कि वे स्वापक ओषधि या मन: प्रभावी पदार्थों की अवैध खेतीबाड़ी, उत्पादन या विनिर्माण में प्रयोग किए जाने में या उसके लिए हैं, विनिर्माण परिवहन या वितरण;

(v) ऊपर (i), (ii), (iii) या (iv) में प्रगणित किसी अपराध का संगठन, प्रबंध या वित्तपोषण ;

(ख) (i) किसी संपत्ति का संपरिवर्तन या अंतरण यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति इस पैरा के उपपैरा (क) के अनुसार, स्थापित किसी अपराध या अपराधों से या ऐसे अपराध या अपराधों में भागीदारी के कार्य से कि किसी संपत्ति के अवैध मूल्य को छिपाने या छद्म रूप में देने के प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए, जो ऐसे अपराध या अपराधों के किए जाने में अंतर्ग्रस्त है, उसके कार्यों के हुए परिणामों से बचाने के लिए उपाप्त हुई है ;

(ii) किसी संपत्ति की बाबत या उसके स्वामित्व के संबंध में, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति इस पैरा के उपपैरा (क) के अनुसार, स्थापित किसी अपराध या अपराधों से उपाप्त हुई है, सही प्रकृति, स्रोत, अवस्थिति, विन्यास, गतिविधि, अधिकार को छिपाना या छद्म रूप देना ;

(ग) अपने संवैधानिक सिद्धांतों और विधिक प्रणाली की आधारिक संरचना के अधीन रहते हुए, :—

(i) किसी संपत्ति का अर्जन, कब्जा या उपयोग, प्राप्ति के समय यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति इस पैरा के उपपैरा (क) के अनुसार, स्थापित किसी अपराध या अपराधों अथवा ऐसे अपराध या अपराधों में भागीदारी के कृत्य से उपाप्त हुई थी ;

(ii) सारणी 1 और 2 में सूचीबद्ध किसी उपस्कर या सामग्री या पदार्थ का कब्जा यह जानते हुए कि वे स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध खेतीबाड़ी, उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग किए जा रहे हैं या उपयोग किए जाने हैं या उनके लिए हैं ;

(iii) किसी भी साधन से सार्वजनिक रूप से दूसरों को उत्प्रेरित करना या प्रलोभन देना कि वे इस अनुच्छेद के अनुसार, स्थापित कोई अपराध करें या अवैध रूप से इस अनुच्छेद के अनुसार, स्थापित कोई अपराध करें या अवैध रूप से स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थों का उपयोग करें ;

(iv) इस अनुच्छेद के अनुसार, स्थापित किसी अपराध के करने में भागीदारी, सहयोग या करने का षडयंत्र, करने के प्रयास और करने में सहायता देना या उत्प्रेरण करना, सुकर बनाना और सलाह देना।

2. प्रत्येक पक्षकार अपने संवैधानिक सिद्धांतों और अपनी विधिक प्रणाली की मूलभूत संकल्पनाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे उपाय अपनाएगा जो उसकी गृह विधि के अधीन दांडिक अपराध के रूप में किसी कृत्य को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं जब वह सावय 1961 के कन्वेंशन, यथासंशोधित 1961 के कन्वेंशन या 1971 के कन्वेंशन के उपबंधों के प्रतिकूल निजी उपभोग के लिए स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थों के कब्जे, क्रय या खेतीबाड़ी के लिए किए गए हों ;

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में अधिकथित किसी अपराध के एक तत्व के रूप में अपेक्षित जानकारी साक्ष्य या प्रयोजन, वस्तुपरक वास्तविक परिस्थितियों से निकाला जा सकेगा।

4. (क) प्रत्येक पक्षकार इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, प्रतिस्थापित अपराधों का किया जाना दंड का, जैसे कि कारावास या स्वतंत्रता के अपवंचन के अन्य रूप, आर्थिक दंड और अधिग्रहण का दायी बनाएगा और इन अपराधों की गंभीर प्रकृति को गणना में लेगा :

(ख) पक्षकार, इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, स्थापित किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि या दंड के साथ-साथ यह उपबंध कर सकेगा कि अपराधी, उपचार, शिक्षा, पश्च देखरेख, पुनर्वास या सामाजिक पुन: एकीकरण जैसे उपायों के अध्यधीन होगा।

(ग) पूर्ववर्ती उपपैरा में किसी बात के होते हुए भी, लघु प्रकृति के समुचित मामलों में, पक्षकार दोषसिद्धि या दंड के विकल्प के रूप में शिक्षा, पुनर्वास या सामाजिक पुन: एकीकरण, जैसे उपाय और साथ ही जब अपराधी औषधि दुरुपयोग करता हो तो उपचार और पश्च देखरेख का उपबंध कर सकते हैं।

(घ) पक्षकार इस अनुच्छेद के पैरा के अनुसार, स्थापित किसी अपराध के या तो दोषसिद्धि या दंड के विकल्प के रूप में अपराधी के उपचार, शिक्षा, पश्च देखरेख, पुनर्वास या सामाजिक पुन: एकीकरण के लिए उपायों का उपबंध कर सकेंगे।

5. पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय और अधिकारिता रखने वाली अन्य सक्षम प्राधिकारी उन वास्तविक परिस्थितियों को हिसाब में लेंगे जो इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, स्थापित अपराध का किया जाना, विशेष रूप से गंभीर बनाते हैं, जैसे कि—

(क) किसी ऐसे संगठित आपराधिक समूह की, जिसका अपराधी सदस्य है, अपराध में अंतर्ग्रस्तता ;

(ख) अपराधी की अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक गतिविधियों में अंतर्ग्रस्तता ;

(ग) अपराध के किए जाने से सुकर हुई अन्य अवैध गतिविधियों में अपराधी की अंतर्ग्रस्तता ;

(घ) अपराधी द्वारा हिंसा या आयुधों का प्रयोग;

(ङ) यह तथ्य कि अपराधी कोई लोक पद धारण करता है और अपराध प्रश्नगत पद से संबद्ध है ;

(च) अवयस्कों को संग करना और उनका उपयोग ;

(छ) यह तथ्य की अपराध किसी शास्तिक संस्था या किसी शैक्षणिक संस्था या किसी सामाजिक सेवा प्रसुविधा या उनके ठीक निकटस्थ या अन्य ऐसे स्थानों में किया गया है जिनमें स्कूली बालक और छात्र और विद्यार्थी शैक्षणिक, क्रीड़ा और सामाजिक गतिविधियों के लिए आश्रय लेते हैं ;

(ज) पूर्व दोषसिद्धि, विशेष रूप से समरूप अपराधों के लिए, चाहे विदेशी हो या स्वदेशी पक्षकार की गृह विधि के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक ;

6. पक्षकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि इस अनुच्छेद के अनुसार, स्थापित अपराधों के लिए व्यक्तियों के अभियोजन से संबंधित उनकी गृह विधियों के अधीन और उन अपराधों की बाबत विधि प्रवर्तन उपायों की प्रभावशीलता और ऐसे अपराधों का होना रोकने की जरूरत की बाबत सम्यक् ध्यान रखते हुए, किसी विवेकी विधिक शक्ति का प्रयोग अधिकतम सीमा तक किया जाता है।

7. पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी, ऐसे अपराधों के सिद्धदोष व्यक्तियों की शीघ्र उन्मुक्ति या पैरोल की संभावना पर विचार करते समय, इस अनुच्छेद के पैरा 1 में प्रगणित अपराधों की गंभीर प्रकृति और इस अनुच्छेद के पैरा 5 में प्रगणित परिस्थितियों को ध्यान में रखें।

8. प्रत्येक पक्षकार, जहां समुचित हो, इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, स्थापित किसी अपराध के लिए कार्रवाई आरंभ करने की वह परिसीमा अधिक रखेंगे और वहां एक दीर्घ अवधि रखेंगे जहां कथित अपराधी ने न्याय प्रशासन से बचना चाहा।

9. प्रत्येक पक्षकार, यह सुनिश्चित करने के लिए, अपनी विधिक प्रणाली से संगत समुचित उपाय करेगा कि इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, स्थापित किसी अपराध का आरोपित या सिद्धदोष व्यक्ति, जो उसके राज्य क्षेत्राधिकार के भीतर मिलता है, आवश्यक दांडिक कार्रवाई में उपस्थित रहता है।

10. इस कन्वेंशन के अधीन पक्षकारों के मध्य सहयोग के प्रयोजन के लिए, जिनमें विशिष्टतः अनुच्छेद 5, 6, 7 और 9 के अधीन सहयोग है, इस अनुच्छेद के अनुसार, स्थापित अपराध, पक्षकारों की संवैधानिक सीमाओं और उनकी मूल गृह विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आर्थिक अपराध या राजनैतिक अपराध या राजनीति से प्रेरित अपराध के रूप में नहीं माने जाएंगे।

11. इस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट कोई बात, इस सिद्धांत पर प्रभाव नहीं डालेगी कि उन अपराधों का वर्णन, जो इसमें निर्दिष्ट हैं और उनसे संबंधित बचाव पक्षकार की गृह विधि के अधीन प्राप्त होता है और ऐसे अपराध उस विधि के अनुरूप अभियोजित और दंडित किए जाएंगे।

3.7 नियंत्रित परिदान

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार के विरुद्ध कन्वेंशन, 1988 के अनुच्छेद 11 में, यदि गृह विधिक प्रणाली द्वारा अनुज्ञेय है तो "नियंत्रित परिदान" के उपयोग के लिए उपबंध है। सुविधा के लिए अनुच्छेद 11 नीचे उद्धृत किया जा रहा है :–

"1. यदि, पक्षकार तत्संबंधी गृह विधि प्रणालियों के मूलभूत सिद्धांतों द्वारा अनुज्ञेय हो तो वे अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार, स्थापित अपराधों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों को पहचानने की दृष्टि से और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए परस्पर सहमत करारों या ठहरावों के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित परिदान के समुचित उपयोग के लिए अपनी संभावनाओं के भीतर अनुज्ञात करने हेतु आवश्यक उपाय करेंगे।

2. अनियंत्रित परिदान का उपयोग करने का विनिश्चय मामले के आधार पर किया जाएगा और मानव, जहां आवश्यक हो, संबद्ध पक्षकारों द्वारा अधिकारिता के प्रयोग की बाबत वित्तीय ठहरावों और अवबोधों को विचार में लेंगे।

3. अवैध पारेषण, जिनका नियंत्रित परिदान तय पाया जाता है, संबद्ध पक्षकारों की सहमति से विखंडित किए जा सकते हैं और उन्हें स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थों को उसी रूप में बनाना अनुज्ञात किया जा सकता है अथवा पूर्णतः या भागतः हटाया या प्रतिस्थापित किया जा सकता है।"

इसलिए, कन्वेंशन की जिसका भारत एक पक्षकार है, इस संबंध में अधिनियम में एक नई धारा इस आशय को सम्मिलित करके उपयुक्त संशोधन कर प्रभावी बनाना आवश्यक है कि पारेषण की अग्रिम गतिविधि का पता लगाया जाए और पारेषण का परिदान लेने वाले अंतिम व्यक्तियों सहित संबद्ध व्यक्तियों को नजरबन्द, गिरफ्तार और अभियोजित किया जाए।

वर्ष 1990 से जब से यह कन्वेंशन प्रभाव में आया, अनेक देशों में कन्वेंशन का अनुसमर्थन कर दिया है। अनेक राज्यों ने नए विधान बना लिए हैं अथवा विद्यमान विधानों को संशोधित कर लिया है और महाजनीय प्रति उपाय कार्यान्वित करने के लिए विनियम पुरःस्थापित किए हैं। कुछ देश एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारिशें अपना ली हैं जो सात प्रमुख औद्योगिक देशों के प्रमुख या सरकार और सी०ई०सी० के अध्यक्ष द्वारा स्थापित किया गया था।[2]

पूर्वगामी प्रयासों और उपायों के होते हुए भी, विश्व के अधिकांश भागों में महाजनी बिना रोक-टोक चल रही है। यद्यपि, कुछ राज्यों द्वारा प्रभावी प्रति उपायों के कारण विश्व के कुछ भागों में महाजनी की लागत पर्याप्ततः अधिक हो गई है।[2]

---

1 डी. आई. जी. सलीम सारिक लोन द्वारा थर्ड एशिया मनी लांडरिंग सिंपोजियम–12—14 दिसम्बर, 1995 में प्रस्तुत लेख "औषधि व्यापार के विरुद्ध प्रभावी रणनीति के रूप में आस्तियों का समपहरण"।

2 यथोक्त।

3.8 उपयुक्त विधायी संशोधन

भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों और अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों का अध्ययन इस उद्देश्य से किया गया है कि भारत में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित विधि में आवश्यक संशोधन शामिल किए जाएं क्योंकि भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 47 और अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों की संगति में उपयुक्त विधि बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करें, भारत इन कन्वेंशनों का एक पक्षकार है और इसके उपबंधों को गृह विधि में संशोधन करते समय, विशेष रूप से स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 4(2)(ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, सम्यकतः स्थान मिलना चाहिए। इस धारा में निम्नवत उपबंधित है : —

4. केन्द्रीय सरकार स्वापक ओषधि, आदि में अवैध व्यापार के निवारण और अवैध दुरुपयोग के लिए उपाय करेगी :—

(1) इस अधिनियम के उपबंध के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों और उनके अवैध व्यापार के निवारण और अवैध दुरुपयोग के प्रयोजन के लिए ऐसे सभी उपाय करेगी, जो वह आवश्यक और समीचीन समझे।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अध्युपायों के अंतर्गत, जो केन्द्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन करे, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में अध्युपाय हैं ; अर्थात्—

(क) विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा :—

(i) इस अधिनियम के अधीन; या

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाहियों का समन्वय;

(ख) अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के अधीन बाध्यताएं।

(ग) ....

(घ) ....

(ङ) ....

अध्याय 4

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम : एक परीक्षण

4.1 विषय-वस्तु—भारत में स्वापक ओषधियों से संबंधित विधि राज्य विधान के अतिरिक्त तीन केन्द्रीय अधिनियमों, अर्थात् (क) अफीम अधिनियम, 1857, (ख) अफीम अधिनियम, 1878 और (ग) खतरनाक ओषधि अधिनियम, 1930 द्वारा प्रशासित की जा रही थी, जिसमें अपराधों के लिए दंड का उपबंध था किन्तु वह ओषधि व्यसन पद्धति विभीषिका के अनुरूप नहीं थी। यह महसूस किया गया था कि ओषधि व्यसन और औषधियों का अवैध व्यापार ऐसे निर्णायक मोड़ पर आ गया है कि उसने केवल व्यष्टिक नागरिक के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं किया है अपितु, सम्पूर्ण राष्ट्र को हिला दिया है। इस विभीषिका को देखते हुए, भारतीय संसद् में स्थिति की गंभीरता और स्वापक ओषधि और मनः-प्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए कड़े उपबंधों की आवश्यकता महसूस की। तदनुसार पूर्व अधिनियमों को निरसित करके स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम अधिनियमित किया गया था, जिसके द्वारा अधिकांश अपराधों की बाबत सक्षम कारावास, जो दस वर्ष से कम अवधि का नहीं होगा और जुर्माना, जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, दंड विहित किया गया। स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार, अधिनियम का लक्ष्य है (क) स्वापक ओषधियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना, (ख) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए कड़े उपबंध करना ।

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम इसलिए अधिनियमित किया गया था कि पूर्व अधिनियमों के अधीन शास्तियां, तस्करों के सुसंगठित गैंगों की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से भयोपरायी नहीं थी। उदाहरण के लिए, खतरनाक ओषधि अधिनियम, 1930 में किसी अपराध के लिए जुर्माने सहित या रहित तीन वर्ष के कारावास को अधिकतम अवधि और पश्चातवर्ती अपराधों की बाबत जुर्माने सहित या रहित चार वर्ष के कारावास की अवधि उपबंधित थी, जिसके परिणामस्वरूप, बहुधा ओषधि व्यापारी न्यायालयों द्वारा नाममात्र का दंड देकर छोड़ दिए गए थे। समय के साथ-साथ स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों पर अन्तरराष्ट्रीय विधि का एक विशाल निकाय, उन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और प्रोटोकालों से उभरा है जिनमें भारत एक पक्षकार था और जिसमें अनेक बाध्यताएं उल्लिखित थी जो पूर्णतः या भागतः स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती थी। अतः, यह महसूस किया गया था कि 1988 के अधिनियम का ओषधि दुरुपयोग और ओषधि व्यापार की विभीषिका को कम करने के लिए और कठोर बनाने हेतु और संशोधन अपेक्षित थे। तदनुसार, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, पारित किया गया था जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं :—

(क) विनिर्दिष्ट अपराधों की बाबत जिसमें कतिपय ओषधियों की विनिर्दिष्ट मात्रा अन्तर्ग्रस्त है, द्वितीय दोषसिद्धि पर मृत्यु का उपबंध करने के लिए नई धारा 31(क) का अंतः-स्थापन ।

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कोई दंड (धारा 27 से भिन्न) निलंबित विप्रेषित या लघु नहीं किया जाना चाहिए ।

(ग) अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का विचारण, जब तक नई धारा 36 ख के अधीन विशेष न्यायालय गठित नहीं किया जाता है, सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।

(घ) विशेष न्यायालयों के गठन का उपबंध करने के लिए नई धारा 36क का अंतःस्थापन ।

(ङ) नई धारा 37 का अंतःस्थापन, जिससे मूल अधिनियम की पुरानी धारा 37 यह उपबंध करते हुए प्रतिस्थापित की गई कि अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

(च) मूल अधिनियम की धारा 42 के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों को, अवैध फसल की कुर्की बनाना ।

(छ) जब्त स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के व्ययन का उपबंध करने के लिए नई धारा 52क का अंतःस्थापन ।

(ज) यह उपबंध करने के लिए नई धारा 53क का अंतःस्थापन कि किसी अन्य अपराधों के अन्वेषण अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित बयान, अधिनियम के अधीन अपराध साबित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा ।

(झ) कोई अधिकारी जिस पर अधिनियम के अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है या ऐसा व्यक्ति जिसे किसी व्यसनी या अधिनियम के अधीन किसी अपराध से आरोपित किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा की गई है और जो जानबूझकर अधिनियम के किसी उपबंध के अतिलंघन में सहायता करता है या मौनानुसति देता है, उसी दंड से जो ओषधि व्यापार के अपराधियों को दिए जाने योग्य है, दंडनीय होगा ।

(ञ) किसी व्यसनी को व्यसन मुक्ति या डिटोक्सीफिकेशन के उपचार के लिए स्वेच्छा व्यक्त करने पर जीवन काल में एक बार उन्मुक्ति। यह उन्मुक्ति वापस ली जा सकती है यदि व्यसनी उस प्रयोजन के लिए लिए पूर्ण उपचार नहीं कराता है ।

(ट) अवैध व्यापार से उपार्जित या उसमें प्रयुक्त सम्पत्ति में समपहरण से संबंधित सभी पहलुओं के लिए एक नए अध्याय का जोड़ा जाना। यह अध्याय अन्य बातों के साथ-साथ, अवैध रूप से अर्जित ऐसी सम्पत्ति को धारण करने का प्रतिषेध करता है जो स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थों के व्यापार से अर्जित सम्पत्ति के रूप में परिभाषित की गई है। इस अध्याय में अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की पहचान करने, जब्त करने या रोकने के लिए भी उपबंध है। इसमें समपहरण से संबंधित सभी पहलुओं से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पदस्थापित करने, जब्त या समपहरण सम्पत्ति के प्रबंध के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने और ऐसी सम्पत्ति के लिए अपील अधिकरण के लिए उपबंध है ।

(ठ) उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए नई धारा 74क का अंतःस्थापन ।

4.2 अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंड

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में अपराधों के लिए दंड का उपबंध है। 1989 के अधिनियम सं० 2 द्वारा यथासंशोधित स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंड उपबंध में उल्लिखित है ।

4.3 अवैध व्यापार की समस्याओं का परिमाण

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21क के अधीन उपबंधित भर्त्सनापरायी दंड, जिसमें मृत्यु दंड भी है, के उपबंधों के बावजूद स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार और उपयोग की विभीषिका बढ़ रही है। प्रतिदिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि भारत के एक या दूसरे भाग में प्रचुर मात्रा में हिरोइन, चरस, अफीम या कुछ अन्य स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ पकड़े गए हैं। ओषधि व्यसन आधुनिक युग का एक अभिशाप बन गया है। यह ऐसी विभीषिका है जो जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है और जिसका परिणाम मानव व्यक्तित्व का विनाश तथा मानव अध:-पतन के विभिन्न रूपों के लिए स्थितियों का संवर्धन है जिसके परिणामस्वरूप अपराध और विधिहीनता फैलती है, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध उपयोग का विस्फोटक परिवर्द्धन, जो अतिभया-

वह रोगों की अपेक्षा अधिक मौतों के लिए उत्तरदायी है, आज सर्वत्र एक घातक घटना बन गई है और भारत इसका अपवाद नहीं है। इस दुखद विकास का संहार विद्यमान विधि द्वारा पूरी तरह सहा नहीं जा सकता। परिणाम यह है कि धनी और निर्धन एक समान, जिनमें छात्र-छात्राएं हैं, इन ओषधि और पदार्थों के सशक्त संगठित तस्करों के हाथों शिकार हो रहे हैं जो अनतिकाल में प्रचुर धन इकट्ठा कर लेते हैं। यह मुख्यतः, इस तथ्य के कारण है कि अभी भी प्रक्रियात्मक विधि में कुछ निहित खामियां हैं और अधिनियम को भारत में ओषधि व्यसन और ओषधि व्यापार की समस्याओं को अधिक प्रभावी रीति से सुलझाने के लिए तत्काल संशोधन किया जाना आवश्यक है।

4.4 पता लगे हुए स्वापक मामलों में नवीनतम रुझान

अगस्त, 1966 (अंनतिम) पूर्ववर्ती मास और पूर्ववर्ष की तत्स्थानी अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए अभिगृहीत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ और नियंत्रित पदार्थों (एसिटिक एनहाईड्राईड) का सारांश निम्नवत है :—

मात्रा किलोग्राम/लीटर में

विवरण	अगस्त, 96	पूर्ववर्ती मास की अवधि के दौरान (जुलाई, 96)	अंतिम वर्ष की तत्स्थानी अवधि के दौरान (अगस्त, 95)
हिरोइन	113.181	54.026	84.946
अफीम	23.915	65.610	55.173
चरस/हशीस	236.207	40.463	638.496
कोकीन	—	—	—
मारफीन	—	—	—
गांजा	431.525	831.550	5240.105
मैथाक्वेलोन	—	—	—
मनड्रेक्स			
एसिटिक एनहाईड्राईड	—	—	140 लीटर

स्रोत : भारत सरकार, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
ओषधि अवस्थिति रिपोर्ट, अगस्त, 1996
उपाबंध 4 की सारणी में वर्ष, 1992, 1993, 1994, 1995
और 1996 के दौरान जब्त की गई विभिन्न ओषधियों की मात्रा किलोग्राम में और मामलों की संख्या वर्णित है।

4.5 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में खामियां

उपर्युक्त परिचर्चा यह से स्पष्ट है कि स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियमन भारत में ओषधि व्यापार और ओषधि व्यसन की विभीषिका को घटाने के वांछित परिणाम नहीं दे सकता, इसका कारण स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रवर्तन में निहित कमियां हैं जिन्हें, अधिनियम के उचित संशोधन द्वारा सुलझाना आवश्यक है। इन कमियों और उनके लिए विचारों का विवरण निम्नवत है :

(क) **ऐसे अपराध के विरुद्ध सामाजिक दंड का अभाव**—समाज पर ऐसे अपराधों के संघात के बारे में, लोक अभिमत और लोक जागरुकता का अभाव है और कोई भी तब तक इस विषय के बारे में प्रवाह नहीं करता है जब तक कि उसके कुटुम्ब का कोई व्यक्ति ओषधि

व्यसन की समस्या द्वारा प्रभावित नहीं हो जाता है। अतः, शिक्षा और लोक प्रचार के माध्यम से ओषधि दुरुपयोग के खतरों के प्रति सामाजिक जागरुकता का सृजन करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना और समाचार पत्रों में रिपोर्टों को प्रकाशित करके प्रायः संगोष्ठियां करना, आवश्यक है और ओषधि दुरुपयोग के खतरों को विद्यार्थियों के मध्य जागरुकता पैदा करने के लिए सीनियर सैकेन्ड्री स्कूलों और महाविद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जा सकता है और इस स्थिति का सामना करने के लिए यह वांछनीय है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा (च) की उपधारा (2) (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाए—

> "(च) व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्च देखरेख, पुनर्वास, सामाजिक पुनः एकीकरण तथा शिक्षा/प्रचार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों के माध्यम से, उनके विचार-विमर्श को व्यापक प्रचार देकर और समाचार पत्रों में उनकी रिपोर्ट प्रकाशित कर ओषधि दुरुपयोग के खतरे के प्रति सामाजिक जागरुकता का सृजन।"

(ख) **कोका के पौधों, अफीम पोस्त और कैनेबिस पौधों की जंगली उपज**—कैनेबिस और कोका पौधा या अफीम पोस्त की जानकारी में न आई जंगली उपज अधिनियम के अपराध नहीं है; फिर भी, उनकी बिना अनुज्ञप्ति खेतीबाड़ी अपराध है। इससे प्रच्छन्न ओषधि व्यापारियों द्वारा जंगली उपज के बहाने से सरकारी भूमि/वन भूमि पर इन पौधों की खेतीबाड़ी की जाती है। अतः, यह अपेक्षित है कि ऐसे पौधों की जंगली उपज की रिपोर्ट वनभूमि पर उपज की बाबत वन विभाग द्वारा की जानी चाहिए और सरकारी भूमि पर उपज की बाबत राजस्व अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए और जानकारी मिलने पर कृत्रिम रीति से उपज में व्यवस्थित विनाश की बाबत, ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। तदनुसार, एक नई धारा 47क निम्नवत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ में अंतःस्थापित की जानी चाहिए :—

> "47क—**कार्रवाई करने को वन अधिकारी और राजस्व अधिकारी का कर्तव्य**—प्रत्येक वन अधिकारी और राजस्व अधिकारी, यथास्थिति, उसकी अधिकारिता के भीतर, जब उसकी जानकारी में किसी प्रक्रम पर आता है या लाया जाता है कि वन भूमि या सरकारी भूमि पर कोका के पौधों, अफीम पोस्त या कैनबिस के पौधों की जंगली उपज होती है तो उसकी इत्तला तत्काल इस निमित्त मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या विशेष रूप से सशक्त किसी मजिस्ट्रेट को या धारा 42 के अधीन सशक्त राजपत्रित रैंक के किसी अधिकारी को तत्काल देगा जो ऐसी जानकारी के प्राप्त होने पर, ऐसा समुचित आदेश, जिसमें पौधों को नष्ट करने का आदेश भी है, जो वह ठीक समझे, पारित कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक वन अधिकारी या राजस्व अधिकारी जो जानबूझकर ऐसी जानकारी देने में उपेक्षा करता है, दंड का दायी होगा।"

(ग) **प्रक्रियात्मक विधि में प्रच्छन्न खामियां**—स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अध्याय 5 में तलाशी और अभिग्रहण करने की प्रक्रिया के लिए उपबंध है। चूंकि, भयोपराधी दंड का उपबंध किया गया है इसलिए विधायिका ने प्रक्रिया और कड़ी बनाई। कुछ उच्च न्यायालयों ने, यह अभिनिर्धारित किया है कि अध्याय 5 में अधिकथित प्रक्रिया आज्ञापक है जब कि अन्य न्यायालयों, ने उसे निदेशात्मक अभिनिर्धारित किया है। तथापि, यह विसंगति अंततः, उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह[1] के मामले में, कुछ उपबंधों को आज्ञापक और अन्य को निदेशात्मक अभिनिर्धारित करते हुए सुलझा दिया है। इस प्रकार, अध्याय 5 में समाविष्ट प्रक्रियात्मक विधि में, शीर्षस्थ न्यायालय के बलबीर सिंह के मामले में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय को ध्यान में रखते हुए, विधि को अप्रभावी बनाने हेतु संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

(घ) **मामले के अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी का परिवर्तन**—यह देखा गया है कि स्वापक मामलों का अन्वेषण एक से अधिक अन्वेषक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। परिणामतः, समुचित अन्वेषण नहीं हो पाता है और अन्वेषण में कुछ खामियां आ जाती हैं जो तकनीकी आधार पर, अभियुक्त को फायदा देती हैं जिससे अधिनियम के कठोर उपबंध व्यर्थ हो जाते हैं।

अतः, यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो, अधिनियम के अधीन किसी मामले का अन्वेषण किसी एक अधिकारी द्वारा संचालित या पूरा किया जाना चाहिए और स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ में एक नई धारा 67क निम्नवत अंत:स्थापित की जानी चाहिए :—

"67क.—किसी सशक्त अधिकारी द्वारा अन्वेषण का पूरा किया जाना—प्रत्येक सशक्त अधिकारी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी मामले का निरीक्षण कर रहा है या जो उसके अध्याय 5 के अधीन कोई कार्रवाई करता है, अन्वेषण पूरा होने तक उसका भारसाधक होगा जब तक कि परिवर्तन की अपेक्षा करने वाले बाध्यकारी कारण न हों जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह शीघ्र अन्वेषण के लिए विधि के अधीन ऐसे कदम उठाए और अनावश्यक विलंब किए बिना सक्षम न्यायालय को मामला पेश करे।"

(ङ) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम शीघ्र विचारण के विशेष न्यायालयों को स्थापित न किया जाना :— स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36, अधिनियम के अधीन मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करती है। सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उतने विशेष न्यायालयों का, जितने ऐसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, गठन कर सकेगी। विशेष न्यायालय में एकल न्यायाधीश होगा जिसे सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से नियुक्त किया जाएगा।

यद्यपि, 1989 के संशोधनकारी अधिनियम सं० 2 द्वारा अंत:स्थापित पूर्वोक्त धारा, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० 2/87 तारीख 29-51-987 द्वारा 29 मई, 1989 से प्रवर्तन में आई, फिर भी लगभग 8 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी अधिकतर राज्य सरकारों ने विशेष न्यायालय गठित नहीं किए हैं, जिससे उपबंध करना व्यर्थ हो गया है। अत:, केन्द्रीय सरकार को यह विषय राज्य सरकारों के साथ उठाना चाहिए जिससे कि बिना विलंब प्रत्येक राज्य में स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ विनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए अधिनियम के अधीन ये विशेष न्यायालय गठित किए जाएं। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा यह याद रखा जाए कि दांडिक न्याय का प्रशासन प्रत्येक राज्य सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है और संसद् द्वारा पारित अधिनियमों में उल्लिखित विशेष न्यायालयों का गठन वित्तीय अड़चनों के कारण रोकना नहीं चाहिए। राज्य सरकार अपनी वित्तीय या प्रशासनिक अयोग्यता का अभवाक करके अभियुक्त के शीघ्र विचारण का उपबंध करने की अपनी संवैधानिक बाध्यता से बच नहीं सकता है। राज्य शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक आदेश के अधीन है और इस प्रयोजन के लिए जो भी आवश्यक है वह राज्य द्वारा किया जाना है। अत:, देश के प्रत्येक राज्य में बिना विलंब किए विशेष न्यायालयों की समुचित संख्या का सृजन करने के लिए आज्ञापक उपबंध शामिल किए जाने चाहिए। तदनुसार, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"परन्तु जैसे ही अधिनियम के अधीन लंबित मामलों की संख्या 150 से अधिक होती है वैसे ही सरकार द्वारा कम से कम एक विशेष न्यायालय गठित किया जाएगा।"

(च) अधिनियम में दंड संरचना— स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम में इस बात पर विचार किए बिना कि पाया गया विनिर्दिष्ट कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का है। अधिकतर अपराधियों के लिए दस वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने का न्यूनतम दंड विहित है सिवाय स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 27 के अधीन निजी उपभोग के लिए किसी व्यक्ति से बहुत कम मात्रा

में वसूली के। राजस्व विभाग ने, अधिनियम के संशोधन के संबंध में, अपनी सिफारिशों में अधिनियम के अधीन हुए अपराधों के लिए और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से लघु मात्रा के कब्जे के मामलों में दंड के उदारीकरण का सुझाव दिया है। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि दंड देना एक कला है, जिसमें अनेक उपादानों, जैसे अपराध की गुरुता और अन्य परिस्थितियों का संतुलन अन्तर्ग्रस्त है। न्याय शास्त्रियों द्वारा यह भी स्वीकार्य है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 के उपबंध, दंड देने के मामले में, समय की परीक्षा पर खरे उतरे हैं। विधि आयोग का यह अभिमत है कि उसी के अनुसार, दंड विहित करने वाले स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों पर भारतीय दंड संहिता और अन्य संशोधन द्वारा प्रकटित दंड देने की पद्धतियों के आधार पर, नए सिरे से विचार करना आवश्यक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हल्का दंड सदैव न्याय की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता किन्तु साथ ही साथ न्यायालय भी अपराधी पर सदैव गुरुता पर विचार किए बिना कठोर दंड देने के इच्छुक नहीं रहते हैं। इस प्रकार, धारा 27 में ऐसे व्यक्तियों की बाबत, दंड का उपबंध है जिनके पास उसमें वर्णित परिस्थितियों के अधीन कम मात्रा में यह पदार्थ पाए जाते हैं। इसका भी निम्नलिखित के अनुसार, उसमें एक नई उपधारा (3) अंत:स्थापित करके संशोधन किया जाना आवश्यक है :—

"(3) जहां किसी व्यक्ति के बारे में, यह दर्शित किया जाता है कि उसके कब्जे में अल्प मात्रा में कोई स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ हैं और वह यह साबित करने में असफल रहता है कि वह ऐसे व्यक्ति के वैयक्तिक उपभोग के लिए न कि विक्रय या वितरण के लिए आशयित था वहां ऐसा व्यक्ति, इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जहां ऐसा स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ, जो कब्जे में रखा गया था का उपभोग किया गया है, कोकीन, मारफीन, डाईएसिटल मारफीन या कोई अन्य स्वापक ओषधि या ऐसा कोई अन्य मन: प्रभावी पदार्थ है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, वहां कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा; और

(ख) जहां ऐसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ, जो कब्जे में रखा गया, या उपभोग किया गया है, खंड (क) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट ओषधि या पदार्थ से भिन्न है वहां कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

(छ) अधिनियम की धारा 71 के अधीन यथा-उपबंधित केन्द्रों का स्थापन—यद्यपि, अधिनियम में व्यसनियों की पहचान, उपचार और पुनर्वास के लिए केन्द्रों को स्थापित करने का उपबंध है। फिर भी, यह देखा गया है कि कुछ राज्य सरकारों ने, ऐसे केन्द्र पर्याप्त संख्या में स्थापित नहीं किए हैं। परिणाम यह है कि व्यसनी अपेक्षित ओषधि पाने के लिए ओषधि व्यापारियों के पीछे भाग रहे हैं और व्यसन मुक्ति और पुनर्वास के लिए इस उपबंध का प्रयोजन व्यर्थ हो गया है। इस प्रकार, सरकार को यह देखने की आवश्यकता है कि गैर-सरकारी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करके और यदि आवश्यक हो तो सरकारी अस्पतालों में एक खंड स्थापित करके धारा में अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त किया जाता है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त विचार-विमर्श को दृष्टि में रखते हुए कि यह आज्ञापक है कि आयोग द्वारा सुझाव गए परिवर्तनों को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके इसे ओषधि व्यापार या ओषधि व्यसन की बुराई को रोकने में अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्यान्वित किया जाए।

अध्याय 5

आज्ञापक और निदेशात्मक उपबंध : सशक्त अधिकारियों के कर्तव्य

5.1 साधारणतः स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन किसी मामले के अन्वेषण और विचारण के पांच प्रक्रम हैं :—

(क) इत्तिला,

(ख) अन्वेषण,

(ग) तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी,

(घ) न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेश किया जाना, और

(ङ) न्यायालय में मामले का विचारण।

इनमें से कब्जा और तलाशी व्यापक महत्व के हैं। जिस प्रकार की कठोर दंडों का उपबंध स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन अपराधों के लिए किया गया है जो अधिकांश अपराधों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने का है, संसद् ने, अपने विवेक से अधिनियम के अध्याय 5 में दोषी व्यक्तियों की तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी के समय अपनाए जाने वाली तत्स्थानी कठोर विशेष प्रक्रिया भी अधिरोपित की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनुभव से यह पता लगा है कि अधिनियम से वांछित परिणाम नहीं मिल पाए हैं तथा अधिनियम के अधीन विभिन्न अपराधों के लिए संस्थित मामलों की बड़ी संख्या उन्मुक्ति में समाप्त हुई है वह भी गुणागुण के आधार पर नहीं, अपितु अधिनियम की धारा 42 और 50 के आज्ञापक उपबंधों के अनुपालन के तकनीकी आधार पर और कुछ मामलों में अधिनियम की धारा 52, 55 और 57 के निदेशात्मक उपबंधों के अनुपालन के लिए अभियुक्त को कारित पूर्वाग्रह के आधार पर, अन्वेषण अधिकारी को अधिनियम के अधीन किसी मामले का अन्वेषण आरंभ करने के पूर्व यह समझ लेना चाहिए कि अन्वेषण लक्ष्य नहीं, अपितु सत्य का पता लगाने का साधन है। अच्छे अन्वेषण अधिकारी को संगत उपबंध के कठोरतापूर्वक अनुरूप, तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए उठाए जाने वाले सही कदम की जानकारी होनी चाहिए। आज्ञापक अथवा निदेशात्मक उपबंधों के अनुपालन के तकनीकी आधारों पर, दोषमुक्ति से बचने के लिए उसे केवल कठोरतापूर्वक अधिनियम की धारा 42 और 50 के आज्ञापक उपबंधों का ही नहीं अपितु धारा 52, 55 और 57 में समाविष्ट निदेशात्मक उपबंधों का और जहां तक लागू हो, दंड प्रक्रिया संहिता का भी अनुपालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नमूने का संबद्ध साक्ष्य, जो रसायन परीक्षक द्वारा विश्लेषित किया जाना है, पूर्ण होना चाहिए, जिसमें नमूने और संपत्ति को थानाध्यक्ष तक ले जाना, थानाध्यक्ष द्वारा अपनी मुद्रा से सील किया जाना, उसे ठीक रूप से माल खाने में जमा किया जाना और नमूने को रासायनिक परीक्षक के पास भेजा जाना, आदि भी सम्मिलित हैं। अधिनियम के विभिन्न उपबंधों पर न्यायालयों के कुछ निर्णयों की जांच करना आवश्यक है।

पहला मामला (डूरंड डीडियर बनाम मुख्य सचिव, गोवा संघ राज्यक्षेत्र[1]) जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया उसमें एक फ्रांसीसी राष्ट्रिक अभियुक्त डूरंड डीडियर को पुलिस द्वारा कोलवा (गोवा) में गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे में 51 ग्राम ब्राउन शुगर (हिरोइन), 45 ग्राम गांजा तेल और 55 ग्राम अफीम पाई गई थी। अभियुक्त के काउन्सेल ने, यह अभिवाक् किया था कि अन्वेषण अधिकारी ने जानबूझकर उस स्थान के सम्मानीय निवासियों को अपने साथ शामिल नहीं किया था। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए, इस अभिवाक् को अस्वीकार किया कि जहां अभियुक्त से अर्ध-रात्रि में विनिर्दिष्ट ओषधियों की तलाशी और अभिग्रहण का साक्षी उस परिक्षेत्र के निवासी थे जिसमें

1. ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1996

पुलिस चौकी स्थित थी और इन पंच साक्षियों की प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे कि उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके तो यह तथ्य कि साक्षी अभिग्रहण स्थान के निकट रहने वाले नहीं थे, सारहीन है और यह अभिवाक् की तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित कानूनी सुरक्षापायों का उल्लंघन हुआ था, असमर्थनीय था। अभियुक्त के काउन्सेल के दूसरे अभिवाक् पर कि अभियुक्त के कब्जे में निजी उपभोग के लिए अल्प मात्रा में पाया गया था। मीर्षस्थ न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त के कब्जे से अभिगृहीत पदार्थ अल्पमात्रा में अभिनिर्धारित नहीं किए जा सकते, जिससे कि वह उसे अधिनियम की धारा 27(1) की रिष्टि के अंतर्गत इस धारा के स्पष्टीकरण 1 और उसके अधीन अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, लाया जा सके।

5.3 **स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन जमानत संबंधी उपबंधों का निर्वचन**—अधिनियम के अधीन अपराधों को करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों की जमानत मंजूर करने के प्रश्न पर, उच्चतम न्यायालय ने, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बनाम किशन लाल और अन्य[1] के मामले में विधि की निम्नलिखित प्रतिपादनाएं अधिकथित की हैं :—

> "स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 एक सर्वोपरि खंड से यह कथन करते हुए आरंभ होती है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उसमें विहित किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति तब तक जमानत पर निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान नहीं हो जाता है। स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम एक विशेष अधिनियमिति है और यह स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए कठोर उपबंध बनाने की दृष्टि से, अधिनियमित किया गया था। ऐसा अंतर्निहित उद्देश्य होने पर और विशेष रूप से तब जब कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के उपबंध नकारात्मक शब्दों में, जमानत की बाबत दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के लागू होने का क्षेत्र सीमित करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन उच्च न्यायालय की जमानत मंजूर करने की शक्तियां, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के अधीन उल्लिखित परिसीमाओं के अधीन नहीं हैं"।

रजनीकांत जीवनलाल पटेल और अन्य बनाम आसूचना अधिकारी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली[2] के मामले में, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21, 23 और 29 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए अभियुक्त, मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक के अधीन 90 दिन के भीतर चालान पेश करने में अभियोजन की असफलता पर जमानत पर छोड़ दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को मान्य ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा "धारा 167(2) के परंतुक (क) के अधीन जमानत पर निर्मुक्ति के लिए आदेश समुचित रूप से व्यतिक्रम पर आदेश कहा जा सकता है। वस्तुतः, यह अभियोजन के विहित अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करने में व्यतिक्रम पर जमानत पर निर्मुक्ति है। उसकी धारा 167(2) के परंतुक (क) के अधीन जमानत का अधिकार आत्यंतिक है। यह विधायी आदेश है न्यायालय का विवेक नहीं। यदि अन्वेषक अभिकरण, यथास्थिति, 90/60 दिन की समाप्ति के पूर्व आरोपपत्र फाइल करने में असफल रहता है तो अभिरक्षा में अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर निर्मुक्त किया जाना चाहिए किन्तु उस प्रक्रम पर मामले के गुणागुण की जांच नहीं की जानी है, बिल्कुल नहीं है। वास्तव में, मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति का 90/60 दिन की नियत अवधि के परे, रिमांड देने की शक्ति नहीं है, उसे जमानत का आदेश फाइल करना चाहिए और उस आदेश को अभियुक्त को संसूचित कर देना चाहिए ताकि वह अपेक्षित जमानत बंधपत्र दे सके।

इसलिए, अभियुक्त जमानत पर बने रहने के किसी विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यदि अन्वेषण से पता चलता है कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध किया है और आरोपपत्र फाइल किया जाता है तो धारा 167(2) के परंतुक (क) के अधीन मंजूर की गई जमानत रद्द की जा सकेगी।"

1. ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 558
2. ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 71

5.4 अभियुक्त के उन्मोचन के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पिरथी चन्द और अन्य[1] के मामले में निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित किए हैं :—

"विधि के अतिक्रमण में तलाशी में संगृहीत साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम के अधीन साक्ष्य में अग्राह्य नहीं हो जाता है, परिणाम यह होगा कि प्रकटित साक्ष्य अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट पदार्थ के अवैध कब्जे को साबित करना होगा । पंचनामा में यह पाया गया है कि संदिग्ध/अभियुक्त के कब्जे से कोई विनिर्दिष्ट अभिगृहीत किया गया है । यद्यपि, तलाशी, अवैध हो सकती है किन्तु संगृहीत साक्ष्य, अर्थात्, पंचनामा आदि जिस पर भी विचारण में अनुज्ञेय होंगे । आरोपपत्र फाइल करने के प्रक्रम पर यह नहीं कहा जा सकता कि साक्ष्य नहीं है और मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश इस आधार पर अभियुक्त को उन्मोचित करने में अवैध कार्य करेगा कि धारा 50 या अन्य उपबंध पूरे नहीं किए गए हैं । विचारण के समय अभियोजन को यह साबित करने का अवसर उपलब्ध होगा कि तलाशी विधि के अनुसार ली गई थी । यदि तलाशी विधि के अतिक्रमण में हुई पाई जाती है तो संगृहीत साक्ष्य को क्या महत्व दिया जाना चाहिए, यह एक और प्रश्न है जिस पर विचार करना होगा । इन परिस्थितियों के अधीन विद्वान सेशन न्यायाधीश अभियुक्त को आरोपपत्र फाइल करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित करते हुए उन्मोचित करने में युक्तियुक्त नहीं था कि धारा 50 की आज्ञापक अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई थीं ।"

प्राप्त कुछ प्रत्युत्तरों में और कार्यशालाओं में विचार-विमर्श के दौरान भी इस ओर संकेत किया गया था कि उक्त निर्णय, विशेष रूप से उसके पैरा 3 के साधारण पठन से धारा 50 की उपयोगिता के बारे में यह आशंका पैदा होगी कि क्या उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया था कि धारा 50 के उपबंध किसी स्थान की तलाशी को भी लागू होंगे । यह कहा जा सकता है कि यह स्थान की तलाशी का मामला था और किसी व्यक्ति की तलाशी का नहीं । इसलिए धारा 50 के उपबंध लागू नहीं होते । यह धारा स्वयं स्पष्ट करती है कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध केवल किसी व्यक्ति की तलाशी को लागू होंगे । निर्णय में यत्रतत्र धारा 50 के प्रति निर्देश सेशन न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक प्रक्रम पर अभियुक्त के उन्मोचन के विषय में था । तथापि, हम ऐसा महसूस करते हैं कि उच्चतम न्यायालय इस स्थिति को धारा 50 की उपयोगिता के संदर्भ में "स्थान की तलाशी" और "व्यक्ति की तलाशी" के बीच पैरामीटरों का सीमांकन करके स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट कर सकेगा कि यह केवल "व्यक्ति की तलाशी" को लागू होता है और "स्थान की तलाशी" को लागू नहीं होता ताकि विधि, विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट की जा सके ।

5.5 पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह[2] के मामले में उच्च न्यायालय ने, अन्वेषक अधिकारी द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करते समय, इस प्रश्न पर भी विचार किया कि कौन से आज्ञापक हैं और कौन से निदेशात्मक हैं तथा इस प्रकार निश्चय किया :—

"(i) यदि कोई पुलिस अधिकारी, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा-अनुध्यात किसी पूर्व इत्तिला के बिना किसी अपराध या संदिग्ध अपराधों के अन्वेषण के सामान्य क्रम में दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन यथा-उपबंधित किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है या उसे गिरफ्तार करता है और जब ऐसी तलाशी पूरी हो जाती है तो उस प्रक्रम पर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होगी और उसके अधीन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रश्न नहीं उठेगा । यदि ऐसी तलाशी या गिरफ्तारी के दौरान किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की अचानक बरामदगी होती है तो वह उस पुलिस अधिकारी को, जो सशक्त नहीं है, सशक्त अधिकारी को इत्तिला देनी चाहिए जिसे उसके पश्चात् स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए । यदि वह सशक्त अधिकारी भी है तो उस प्रक्रम से आगे उसे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार, अन्वेषण करना चाहिए ।

---

1. 1996 (1) मान 48 ।
2. 1994 (1) अपराध 753 ।

(2क) धारा 41(1) के अधीन केवल सशक्त मजिस्ट्रेट अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत गिरफ्तारी या तलाशी के लिए तब वारंट जारी कर सकता है जब उसके पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि ऐसे अपराध किए गए हैं या ऐसे पदार्थ किसी भवन, वाहन या स्थान में रखे या छिपाए गए हैं । जब गिरफ्तारी या तलाशी के लिए ऐसा वारंट उस मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है जो सशक्त नहीं है तब ऐसी तलाशी या गिरफ्तारी, यदि की जाती है तो अवैध होगी ।

इसी प्रकार, केवल सशक्त अधिकारी अथवा धारा 41(2) और 42(1) में यथा प्रमाणित सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य कर सकते हैं । यदि ऐसी गिरफ्तारी या तलाशी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन, ऐसे अधिकारियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है तो वह अवैध होगी ।

(2ख) धारा 41(2) के अधीन केवल सशक्त अधिकारी ही उसमें यथा उल्लिखित किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या तलाशी के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्राधिकार दे सकता है । यदि इसमें उल्लंघन होता है तो वह अभियोजन के मामले पर, प्रभाव डालेगा और दोषसिद्धि दूषित हो जाएगी ।

(2ग) धारा 42(1) के अधीन यदि सशक्त अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व इत्तिला मिली है जो अनिवार्यतः लिखित रूप में दी जानी चाहिए, किन्तु निजी ज्ञान से यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण है कि अध्याय 4 के अधीन अपराध किए गए हैं या वह सामग्री, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य दे सकती है, किसी भवन, आदि में छिपाई गई है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है या तलाशी ले सकता है और यह उपबंध यह आज्ञापक नहीं बनाता है कि उसे अपने विश्वास के कारण अभिलिखित करना चाहिए : परन्तु धारा 42(1) के परन्तुक के अधीन, यदि ऐसे अधिकारी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ऐसी तलाशी लेनी है तो उसे अपने विश्वास के आधार अभिलिखित करने होंगे ।

इस सीमा तक यह उपबंध आज्ञापक है और वे उनका उल्लंघन अभियोजन के मामलों को प्रभावित करेगा और विचारण दूषित हो जाएगा ।

(3) धारा 42(2) के अधीन ऐसे सशक्त अधिकारी को, जो इत्तिला लिखित रूप में देता है या धारा 42(1) के परन्तुक के अधीन आधार अभिलिखित करता है, उसकी एक प्रति अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी के पास तुरंत भेजनी चाहिए, यदि इस उपबंध का पूर्णतः अनुपालन है तो वह अभियोजन के मामले को प्रभावित करता है । उस सीमा तक यह आज्ञापक है किन्तु यदि विलंब होता है चाहे वह असम्यक् हो या उसे स्पष्ट किया गया हो या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्य का प्रश्न होगा ।

(4क) यदि कोई पुलिस अधिकारी, भले ही वह सशक्त अधिकारी हो, विशुद्धतः दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन सामान्य अन्वेषण के दौरान, गिरफ्तारी करते या तलाशी लेते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 और 165 के उपबंधों का, जिसमें कारण अभिलिखित करने की अपेक्षा भी है, पूर्णतः अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता मात्र अनियमितता के तुल्य होगी ।

(4ख) यदि कोई सशक्त अधिकारी या अधिनियम की धारा 41(2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी कोई तलाशी लेता है तो वह ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों, अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 और 165 के अधीन ऐसा कर रहा होगा और यदि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का कठोर अनुपालन नहीं है तो ऐसी गिरफ्तारी सामान्यतः अवैध नहीं होगी और विचारण को दूषित नहीं करेगी ।

न्यायालयों द्वारा, प्रत्येक मामले के, तथ्यों और परिस्थितियों में, साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय ऐसी असफलता के प्रभाव को ध्यान में रखना है ।

(5) पूर्व इत्तिला पर सशक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को, धारा 41(2) या धारा 42 के अधीन कार्य करते समय किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाए इसके पूर्व धारा 50 के उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को यदि वह ऐसी वांछा करे तो सूचित किया जाना चाहिए तथा वह किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष, उसके अधीन जैसा उपबंधित हो, उपसंजात किया जाएगा । ऐसे अधिकारी के लिए तलाशी लेने वाले को सूचना देना अनिवार्य है । यदि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को सूचना देने में असफलता होती है और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास उसे ले जाने में असफलता धारा 50 के अनुपालन के तुल्य होगी और जो आज्ञापक है और इस प्रकार यह अभियोजन के मामले को प्रभावित करेगा और विचारण दूषित कर देगा । इस प्रकार सूचित किया जाने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे कार्य के विकल्प देता है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न होगा ।

(6) धारा 52 और 57 के उपबंध, जो क्रमशः, धारा 41 से 47 तक के अधीन गिरफ्तारी या अभिग्रहण करने के पश्चात् अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित हैं, अपने आप में आज्ञापक नहीं हैं । यदि अननुपालन होता है या यदि उसमें विलंब, आदि जैसी खामियां हैं तो उसकी यह देखने के लिए जांच की जानी है कि क्या अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह कारित हुआ है और ऐसी असफलता, गिरफ्तारी या अभिग्रहण की बाबत साक्ष्य के मूल्यांकन और साथ ही, मामले के गुणागुण पर प्रभाव डालने वाली होगी। "

इस प्रक्रम पर यह उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने बी० मोहम्मद बशीर बनाम राज्य[1] में यह अवधारित करने में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को गलत समझा है धारा 43 के अधीन की गई तलाशी में धारा 50 आकर्षित नहीं होती है ।

5.6 हमने राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि यदि सशक्त अधिकारी का किसी व्यक्ति की तलाशी लेते समय यह अभिमत है कि उस व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट तक ले जाने का परिणाम तलाशी में विलंब होगा और उस व्यक्ति को यह अवसर देगा कि विनिषिद्ध से अपने को पृथक् कर सके तो तलाशी उस स्थान के या पार्श्वस्थ स्थान में दो या अधिक स्वतंत्र या सम्मानित व्यक्तियों के समक्ष ली जा सकती है । तथापि, हमारा यह अभिमत है कि निर्दोष व्यक्तियों के हित के सुरक्षोपाय के रूप में, जबकि अधिनियम के अधीन न्यूनतम आज्ञापक दंड विहित है, ऐसा संशोधन वांछनीय नहीं है ।

उपर्युक्त विचार-विमर्श से यह स्पष्ट हो जाता है कि सशक्त अधिकारियों को अधिनियम के उपबंधों के अधीन महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करना है । विशेष रूप से, जब कि धारा 42 और 50 आज्ञापक अभिनिर्धारित किए गए हैं । उन उपबंधों की बाबत भी, जो निदेशात्मक कहे गए हैं, वे, ढिलाई नहीं बरत सकते । यद्यपि, धारा 42 और धारा 50 के आज्ञापक उपबंध सर्वाधिक महत्व के हैं और सशक्त अधिकारियों द्वारा उनका अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए । प्रश्नावली के प्रत्युत्तरों और कार्य-शालाओं में व्यक्त अभिमतों में भी यह सुझाव दिया गया है कि व्यावहारिक और सार्थक रीति में प्रभावी रूप से तलाशी लेने के लिए धारा 50 में कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं । हमारा यह अभिमत है कि धारा 50 का संशोधन आवश्यक है ।

धारा 50 के अनुपालन को उस प्रकृति का, जिससे अनेक व्यक्ति दोषमुक्त हो जाते हैं, उपयुक्त संशोधन करने की दृष्टि से, सतर्कतापूर्वक जांच की जानी है । धारा 50 में यह अधिकथित है कि सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तब वह ऐसे व्यक्ति को, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो बिना अनावश्यक विलंब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा और यदि ऐसी अपेक्षा तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है तो संबद्ध प्राधिकृत अधिकारी उसे तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक उसे ऐसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात नहीं कर सकता और उसके पश्चात् तलाशी ली जानी चाहिए । यह अवधारित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति को यह दिया गया बहुत मूल्यवान अधिकार है और यद्यपि, धारा में स्पष्ट शब्दों में ऐसा नहीं कहा गया फिर भी उस व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में बता दिया जाए तथा ऐसे करने में असफलता का परिणाम धारा 50 का अननुपालन है । ऐसे व्यक्ति को सूचना दी गई थी या नहीं यह अभियुक्त द्वारा किए गए मौखिक प्राख्यान अथवा प्रति प्राख्यान पर निर्भर करते हुए, सदैव तथ्य का प्रश्न होगा और तलाशी लेने वाले अधिकारी तथा अनुपालन के कारण अनेक दोषमुक्ति हुई हैं ।

1. 1991 (2) अपराध 686 ।

अन्य किस्मों के अननुपालन, जिनके परिणामस्वरूप, दोषमुक्तियां हुई हैं, जैसा न्यायालयों द्वारा देखा गया है, अत्यधिक तकनीकी प्रकृति के हैं । कुछ मामलों में, अभियुक्त इस आधार पर दोषमुक्त किए गए थे कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा दी गई सूचना में केवल "मजिस्ट्रेट" शब्द उल्लिखित था और कुछ मामलों में केवल "राजपत्रित अधिकारी" तथा कुछ अन्य मामलों में "मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी" उल्लिखित थे । ऐसे मामलों में, अभियुक्त यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषमुक्त किए गए थे कि सूचना पूर्ण और अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों के अनुकूल नहीं थी । यद्यपि, न्यायालयों द्वारा ऐसे तकनीकी अभिमत का लिया जाना वाद-विवाद का विषय हो सकता है किन्तु सशक्त अधिकारियों की ओर से ऐसी खामियों को रोकने के लिए, जिनका परिणाम इस प्रकार दोषमुक्त है, आयोग अधिनियम की धारा 50 में, धारा 50 के विस्तार की सभी शंकाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देना आवश्यक महसूस करता है । प्रश्नावली के उत्तरों में व्यक्त कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए और कार्यशालाओं में किसी व्यक्ति द्वारा विनिषिद्ध पदार्थ को फेंकने की और निकटतम मजिस्ट्रेट और राजपत्रित अधिकारी तक परिवहन के समय उसे रखने की संभाव्यताओं की बाबत किए गए विचार-विमर्शों से भी हमारा यह अभिमत है कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 में निम्नवत संशोधन किए जाएं :—

(क) उपधारा (1) में "ऐसे व्यक्ति को" शब्दों के पश्चात् और "यदि ऐसा व्यक्ति" शब्दों के पूर्व निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"सूचित करेगा कि उसे धारा 41 में निर्दिष्ट किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी देने का अधिकार है; और

(ख) उपधारा (1) में "या निकटतम मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"या अधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट निकटतम मजिस्ट्रेट के पास, जैसा कि सशक्त अधिकारी ठीक समझे ।"

यह तात्विक अनुपालन के तुल्य होगा ।

अध्याय 6

निष्कर्ष और सिफारिशें

6.1 स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की खामियां

ओषधि व्यापारी मानवता के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं और इसलिए स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1989 का अधिनियम सं० 2 द्वारा यथासंशोधित) के अधीन भयोपरापी दंड का उपबंध किया गया है। अधिनियम में पूर्व दोषसिद्धि द्वारा विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए मृत्युदंड और अवैध व्यापार से उपार्जित या उसमें उपयुक्त सामग्री के समपहरण के लिए उपबंध किया गया है। तथापि, इन उपबंधों से भी स्वापक ओषधियों के अवैध व्यापार तथा उसके उपयोग को रोकने और नियंत्रित करने में अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए हैं। अधिनियम के कार्यान्वियन में पाई गई कुछ खामियों का निम्नवत् उल्लेख किया जा सकता है :—

(क) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार और अवैध उपयोग के अपराधों के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता का अभाव;

(ख) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अल्पमात्रा के लिए, यदि वह वैयक्तिक उपभोग के लिए नहीं है, तो कठोर दंड;

(ग) कुछ राज्यों द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 में विनिर्दिष्ट निदेशों के बावजूद, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचार के लिए विशेष न्यायालयों का स्थापित न किया जाना;

(घ) कैनेबिस के पौधे, कोका के पौधे, अफीम पोस्त की जंगली उपज और ऐसे पौधों की प्रच्छन्न तस्करों द्वारा जंगली उपज के छद्म में खेती के मौके;

(ङ) तलाशी को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के कार्यान्वियन में कुछ निहित समस्याएं;

(च) अपराधों के अन्वेषण अधिकारियों में प्रायः फेर-बदल, और

(छ) सरकार द्वारा व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा और पश्च देख-रेख के लिए केन्द्रों का स्थापित न किया जाना।

6.2 सिफारिशें

अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों की कार्रवाई से उत्पन्न हुई स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार और उपयोग के विरुद्ध विश्व समुदाय की चिन्ता, इस विषय पर विद्यमान विधि की, ओषधि दुरुपयोग और उसमें व्यापार की विभीषिका को समाप्त करने में प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रक्रियात्मक और अन्य खामियों पर तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों, विशेष रूप से पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह[1] में हुए निर्णय पर विचार करने के पश्चात् तथा मूल्यवान सुझाव पर ध्यान देने के पश्चात्, हम यह समझते हैं कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें और संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

हम स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में निम्नलिखित संशोधनों की सिफारिश करते हैं, अर्थात् :—

6.2.1 अधिनियम की धारा 4 में संशोधन

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के खंड (2) के उपखंड (घ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(घ) व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्च देखरेख, पुनर्वास, सामाजिक पुनः एकीकरण तथा शिक्षा, प्रचार प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों के माध्यम से, उनके विचार विमर्श को व्यापक प्रचार देकर और समाचार-पत्रों में उनकी रिपोर्ट प्रकाशित कर ओषधि दुरुपयोग के खतरे के प्रति सामाजिक जागरूकता का सृजन।"

[अध्याय 4, पैरा 4.5(क)]

6.2.2 अधिनियम की धारा 27 में संशोधन

अधिनियम की धारा 27 में अल्पमात्रा के लिए, यदि वह वैयक्तिक उपभोग के लिए साबित नहीं होती है तो, दंड के लिए उपबंध करने हेतु निम्नलिखित उपधारा (3) अंतःस्थापित की जानी चाहिए, अर्थात् :—

"(3) जहां किसी व्यक्ति के बारे में यह दर्शित किया जाता है कि उसके कब्जे में अल्पमात्रा में कोई स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ है और वह यह साबित करने में असफल रहता है कि वह ऐसे व्यक्ति के वैयक्तिक उपभोग के लिए न कि विक्रय या वितरण के लिए आशयित था वहां ऐसा व्यक्ति, इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जहां ऐसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जो कब्जे में रखा गया या उपयोग किया गया है, कोकीन, मॉरफीन, डाईएसिटल मारफीन या कोई अन्य स्वापक ओषधि या ऐसा कोई अन्य मनःप्रभावी पदार्थ है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, वहां कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा; और

(ख) जहां ऐसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जो कब्जे में रखा गया या उपभोग किया गया है, खंड (क) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट ओषधि या पदार्थ से भिन्न है, वहां कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

[अध्याय 4, पैरा 4.5(ख)]

6.2.3 अधिनियम की धारा 36 में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 36 के खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जैसे ही अधिनियम के अधीन लंबित मामलों की संख्या 150 से अधिक होती है वैसे ही सरकार द्वारा कम से कम विशेष न्यायालय गठित किया जाएगा।"

[अध्याय 4, पैरा 4.5(ङ)]

6.2.4 अधिनियम में नई धारा 47क का अंतःस्थापन

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"47क. **कार्रवाई करने का वन अधिकारी और राजस्व अधिकारी का कर्तव्य**—प्रत्येक वन अधिकारी और राजस्व अधिकारी, यथास्थिति, उसकी अधिकारिता के भीतर, जब उसकी जानकारी में किसी प्रकार पर लाता है या लाया जाता है कि वन भूमि या सरकारी भूमि पर कोका के पौधों, अफीम, पोस्त या कैनेबिस के पौधे की जंगली उपज आती है तो उसको मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से, सशक्त किसी

मजिस्ट्रेट को या धारा 42 के अधीन समक्ष राजपत्रित रैंक के किसी अधिकारी को तत्काल देगा जो ऐसी जानकारी के प्राप्त होने पर, ऐसा समुचित आदेश, जिसमें पौधों को नष्ट करने का आदेश भी है, जो वह ठीक समझे, पारित कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक वन अधिकारी या राजस्व अधिकारी जो जानबूझ कर ऐसी जानकारी देने में उपेक्षा करता है, दंड का दायी होगा।"

[अध्याय 4,पैरा 4.5(ख)]

6.2.5 अधिनियम की धारा 50 में संशोधन

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 में,

(क) उपधारा (1) में "ऐसे व्यक्ति को" शब्दों के पश्चात् और "यदि ऐसा व्यक्ति" शब्दों के पूर्व निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"सूचित करेगा कि उसे धारा 41 में निर्दिष्ट किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी देने का अधिकार है," और

(ख) उपधारा (1) में "या निकटतम मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"या अधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट निकटतम मजिस्ट्रेट के पास, जैसा कि समक्ष अधिकारी ठीक समझे।"

(अध्याय 5, पैरा 5.6)

6.2.6 "नियंत्रित परिदान" की बाबत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध कन्वेंशन, 1988 के अनुच्छेद 11 को प्रभावी बनाने के लिए नई धारा का अंतःस्थापन।

पूर्वोक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 11 में अंतर्विष्ट पूर्वोक्त उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का उसके अधीन, पारेषणों की आगे की गति का पता लगाने और व्यक्तियों को, जिनमें पारेषण का परिदान लेने वाला अंतिम व्यक्ति भी है, रोकने, गिरफ्तार करने और अभियोजित करने के लिए एक नई धारा का समावेश का उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाए।

(अध्याय 3, पैरा 3.7)

6.2.7 अधिनियम में नई धारा 67 क का अंतःस्थापन

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"67क. **किसी सशक्त अधिकारी द्वारा अन्वेषण का पूरा किया जाना**—प्रत्येक सशक्त अधिकारी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी मामले का निरीक्षण कर रहा है या जो उसके अध्याय 5 के अधीन कोई कार्रवाई करता है, अन्वेषण पूरा होने तक उसका भारसाधक होगा जब तक कि परिवर्तन की अपेक्षा करने वाले बाध्यकारी कारण न हों, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह शीघ्र अन्वेषण के लिए विधि के अधीन ऐसे कदम उठाए और अनावश्यक विलंब किए बिना सक्षम न्यायालय को मामला पेश करे।"

[अध्याय 4, पैरा 4.5(ग)]

6.2.8 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 71 का प्रभावी कार्यान्वयन

हम यह महसूस करते है कि सरकार को यह देखने की आवश्यकता है कि गैर-सरकारी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करके और यदि आवश्यक हो तो सरकारी अस्पतालों में एक खंड स्थापित करके धारा में अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।

[अध्याय 4, पैरा 4.5(छ)]

हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

हस्ता०

(न्यायमूर्ति के० जयचन्द्र रेड्डी)

अध्यक्ष

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(न्यायमूर्ति आर० एल० गुप्ता)	(जी० कृष्णमूर्ति)	(प्रो० एलिस जैकब)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
	(आर० एल० मीना)	
	हस्ता/-	
	सदस्य-सचिव	

उपाबंध 1

अ०शा० पत्र सं० 6(3)(3)/96-एल सी/एल एस

डा० एस० सी० श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
विधि आयोग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001.

तारीख : 5-7-1996

महोदय,

राष्ट्रीय महत्व के इस विषय पर आपसे अपना मूल्यवान समय देने की अपेक्षा है।

विधि आयोग ने, उच्च न्यायालय के निर्णय और विशेष रूप से, पंजाब राज्य बनाम बलवीर सिंह ए आई आर 1994 एस सी 1872 में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, स्कापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम सं० 16) के उपबंधों की, अधिनियम की धारा 50 में लाए जाने वाले परिवर्तनों पर जोर सहित, जांच का अध्ययन करना आरंभ किया है। ऐसा महसूस किया जाता है कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों का पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार, आयोग उक्त अधिनियम के कतिपय प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में, आयोग द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली पर आपसे अपना सुविचारित अभिमत देने का अनुरोध करता है।

आपसे अनुरोध है कि इन विषयों पर अपना मूल्यवान अभिमत देने के लिए अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालें और अपनी शीघ्रतम सुविधा के अनुसार, अधिमानतः 14 अगस्त, 1996 तक अपना अभिमत देने की कृपा करें।

आपसे सहयोग की प्रतीक्षा में,

सादर,

भवदीय,

ह/०

(एस० सी० श्रीवास्तव)

संलग्न : यथोपरि।

भारत का विधि आयोग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

स्थायक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम सं० 61) के संशोधन से संबंधित प्रश्नावली

अध्याय 2

अधिनियम की धारा 4

प्र० 1. क्या आप सहमत हैं कि शिक्षा और प्रचार के माध्यम से तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम और संगोष्ठियां संचालित करके, औषधि दुरुपयोग के खतरों के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए विनिर्दिष्ट उपबंध बनाने की आवश्यकता है ?

अध्याय–IV

अधिनियम की धारा 15 और 25

प्र० 2. क्या न्यूनतम दंड के विद्यमान शास्तिक उपबंधों में कोई संशोधन अपेक्षित है ? यदि हां, तो किस सीमा तक।

प्र० 3. क्या अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत किया जाने वाला दंडादेश विनिषिद्ध पदार्थ के अभिग्रहण की मात्रा के अनुसार होना चाहिए ?

प्र० 4. क्या अधिनियम की धारा 15 से 25 में उपबंधित न्यूनतम दंडादेश के उपबंधों को लोप करने की आवश्यकता है ?

अधिनियम की धारा 27

प्र० 5. क्या आप यह सुझाव देते हैं कि धारा 27 का फायदा, तथ्यों पर विचार किए बिना, ऐसे सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनके कब्जे में अल्पमात्रा में औषधि पाई जाए, जो वैयक्तिक उपभोग के लिए आशयित थी या नहीं ?

अधिनियम की धारा 36

प्र० 6. क्या राज्य सरकार ने, आपके राज्य में अधिनियम की धारा 36 के अधीन मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीशों के पृथक् न्यायालय सृजित नहीं किए हैं ?

प्र० 7 क्या आप सहमत हैं कि अधिनियम के अधीन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए, प्रत्येक राज्य में अधिनियम के अधीन मामलों के विचारण के लिए, विशेष न्यायाधीशों के पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र न्यायालय स्थापित करने हेतु धारा में उपबंध अंतर्विष्ट किए जाने चाहिए ?

अध्याय V

धारा 47–क

प्र० 8. क्या आप यह आवश्यक समझते हैं कि वन और अन्य सरकारी भूमि पर कैनेबिस और अफीम के पौधों की बन्य उपज की रिपोर्ट के लिए, वन और राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगानी चाहिए और जैसा राज्य सरकार निदेश दे उसको नष्ट करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ?

धारा 50

प्र० 9. क्या आप इस विचार का समर्थन करते हैं कि अधिनियम की धारा 50 का संशोधन अपेक्षित है ?

प्र० 10. क्या आप इससे सहमत हैं कि पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह ए आई आर 1994 एस० सी० 1875 में महत्वपूर्ण निर्णय को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 50 का निम्नलिखित समुचित संशोधन करके पुनःप्रारूपण किया जाना चाहिए :—

"50—वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी :—

(1) जब धारा 42 के अधीन पृथक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, (ऐसे व्यक्ति को सूचित करेगा कि उसे धारा 41 में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का अधिकार है) ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना आवश्यक विलंब के किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाएगा (या जैसा सशक्त अधिकारी ठीक समझे, धारा 41 में निर्दिष्ट निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा) :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना का प्ररूप, उसे यह सूचित करते हुए विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि उसे इस उपधारा के प्रयोजन के लिए राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का अधिकार है ।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक कि वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता; (या, यदि सशक्त अधिकारी, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए ऊपर निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को स्थल पर बुलाना आवश्यक समझता है तो वह ऐसे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और यह, यथास्थिति, ऐसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वे बिना किसी विलंब के स्थल पर पहुंचे) ।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट (या जिसकी सेवाओं की अपेक्षा की गई है) जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए उचित आधार नहीं पाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा वह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए ।

(3क) उसकी तलाशी, यथास्थिति, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तब ली जाएगी जब दो स्वतंत्र साक्षी, यदि उपलब्ध हों, सहयुक्त हों और दो नमूने लिए जाएंगे तथा नमूनों और बरामद वस्तुओं को सीलबंद करने के पश्चात् उसके साथ सीलबंद को बिना किसी क्षति के रखा जाएगा; तथा नमूने बरामद वस्तुएं और उपयोग किए गए सील के नमूने सशक्त अधिकारी को सौंपे जाएंगे ।

(4) किसी स्त्री की तलाशी स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी ।"

प्र० 11. क्या सशक्त अधिकारी को यह विवेकाधिकार दिए जाने चाहिए कि यदि, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, उसकी यह राय है कि निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा व्यक्ति की तलाशी ली जानी व्यवहार्य नहीं है; या मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की सेवाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती तो सशक्त अधिकारी दो स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में स्वयं तलाशी कर सकेगा ?

धारा 50क

प्र० 12. क्या आप इससे सहमत हैं कि पर्यवेक्षण के अधीन परेषण को खोज निकालने और पकड़ने तथा सभी अपराधियों को, जिसमें गंतव्य स्थान पर अवैध औषधियों या पदार्थों के परेषण के परिदान को लेने वाले व्यक्ति भी हैं, पकड़ने, गिरफ्तार करने और उनको अभियोजित करने के लिए कतिपय अधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिदान प्रणाली के उपयोग के लिए नई धारा अंतःस्थापित की जानी चाहिए ?

धारा 67क

प्र० 13. आप इस सुझाव से सहमत हैं कि सशक्त अधिकारी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामले की जांच आरंभ करता है, तब तक मामले का भारसाधक होगा जब तक यथासंभव जांच पूरी नहीं हो जाती है ?

अध्याय—VI

धारा 71

प्र० 14. क्या राज्य सरकार ने, आपके राज्य में व्यसनियों की पहचान और उपचार के लिए पर्याप्त केन्द्रों की स्थापना नहीं की है ?

प्र० 15. आप इससे सहमत हैं कि अधिनियम में समुचित संशोधन द्वारा इसे आज्ञापक बनाया जाना चाहिए जिससे व्यसनियों की पहचान और उपचार के लिए देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए ?

साधारण

कोई अन्य सुझाव

प्र० 16. आप अधिनियम में किसी अन्य संशोधन का सुझाव देना चाहते हैं ? यदि हां, तो अपना बहुमूल्य सुझाव दें ।

उपाबंध 2

विधि आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली पर प्राप्त टीका-टिप्पणी

विधि आयोग ने, विभिन्न भागों से राय को प्रकाश में लाने के लिए स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के कतिपय संशोधनों के बारे में एक प्रश्नावली (उपाबंध 1) परिचालित की थी। उक्त प्रश्नावली में, विधि आयोग ने, विषय के विभिन्न पहलुओं पर सोलह प्रश्न बनाए।

प्रश्नावली सोलह उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों, विधिज्ञ संगमों, 25 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के गृह सचिवों, 28 पुलिस अधिकारियों और पांच राज्य विधि आयोग के अध्यक्षों को भेजी गई थी। जवाब केवल उच्च न्यायालयों के सात न्यायाधीशों/रजिस्ट्रार, तीन अधिवक्ताओं/अभियोजकों तथा सत्ताईस पुलिस अधिकारियों और अन्य निम्नलिखित अधिकारियों से प्राप्त हुआ था।

प्र० सं० 1—विभिन्न उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों, रजिस्ट्रारों, दो अधिवक्ताओं, इक्कीस पुलिस अधिकारियों और एक विधिज्ञ ने सकारात्मक उत्तर दिया है। तथापि, उपविधि सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की यह राय है कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 4 का उपखंड (ङ) प्रयोजन की तामील करता है। अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) पंजाब अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन विद्यमान उपबंधों को रखे रहने के पक्ष में हैं। एन०सी०बी० मुम्बई की यह राय है कि प्रश्न 1 में अंतर्विष्ट सूचा धारा 4 में रखना चाहिए। तथापि, उन्होंने यह महसूस किया है कि एक ऐसा विनिर्दिष्ट उपबंध किया जाना आवश्यक है जिससे राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे लक्ष्य समूहों के मध्य ओषधि दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और उन्होंने गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को भी आमेलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पुलिस उपायुक्त, स्वापक और अपराध निवारण, दिल्ली का यह मत है कि अधिनियम की धारा 4 में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है।

प्र० सं० 2—न्यूनतम दंड का उपबंध करने वाले विद्यमान दांडिक उपबंधों में संशोधन के लिए सुझाव के बारे में 4 न्यायाधीश, दो अधिवक्ता और दस पुलिस अधिकारी सुझाव से सहमत हुए हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सश्रम कारावास, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना, जो 50 हजार रुपए से कम का नहीं होगा, का उपबंध किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया है कि न्यूनतम दंड घटाकर 7 वर्ष कर दिया जाए और उसके पश्चात् दंड, जब्त की गई मात्रा के अनुपात में 20 वर्ष तक का होना चाहिए। तथापि, पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम दंड में जब्त की गई ओषधि की मात्रा, अपराधों और अपराधियों की प्रकृति, आदि को ध्यान में रखते हुए, घट-बढ़ होनी चाहिए। तथापि, अन्य व्यक्तियों ने या तो नकारात्मक उत्तर भेजें हैं या वे विद्यमान दांडिक उपबंधों से संतुष्ट हैं। अपर पुलिस महानिदेशक (स्वापक खंड) भोपाल का यह मत है कि धारा 15 से 20 तक कोई संशोधन आवश्यक नहीं है किन्तु धारा 21 से 25 तक का संशोधन दंड को आजीवन कारावास तक बढ़ाने तथा पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए संपत्ति की अधिहरण तक किया जाना चाहिए। फिर भी, अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) पंजाब ने, जुर्माने की रकम 1 लाख रुपए से घटाकर 50 हजार रुपए करने का सुझाव दिया है। उच्च न्यायालय, मुम्बई के एक न्यायाधीश ने सुझाव दिया है कि अभियुक्त के पूर्ववृत्त विनिर्दिष्ट की मात्रा, आदि पर निर्भर करते हुए, ऐसे विशेष कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, कम दंड देने के लिए न्यायालय को विवेकाधिकार दिया जाए, ... दो पुलिस अधिकारियों ने नकारात्मक उत्तर दिया है। एक शिक्षाशास्त्री के अनुसार, अधिकतम दंड, आजीवन कारावास का होना चाहिए किन्तु न्यूनतम दंड न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

प्र० सं० 3—उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार, एक अधिवक्ता, तेरह पुलिस अधिकारियों और एक शिक्षाविद् ने इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया है। जब कि शेष व्यक्ति इस सुझाव से सहमत हुए हैं कि विनिर्दिष्ट की जब्ती की मात्रा के अनुपात में दंड अधिरोपित किया जाए।

प्र० सं० 4—प्राप्त अधिकांश प्रत्युत्तर नकारात्मक हैं। किन्तु उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, दो पुलिस अधिकारी और एक शिक्षाविद ने सकारात्मक उत्तर दिया है। और, माननीय न्यायाधीश ने यह

कहा है कि ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें स्वापक कर्षण व्यापार में लगे बड़े मालिकों ने वृद्ध पुरुषों और महिलाओं विधवाओं, अल्पवय बालकों वाली महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और बालकों का, उनकी निर्धनता तथा अन्य कमजोरियों का शोषण करके, उपयोग करना आरंभ कर दिया है। ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार या अध्यारोपित नहीं हो पाते। तथापि, बड़े मालिकों द्वारा अपनाई जा रही ऐसी व्यवस्था के कारण अनुविधाग्रस्त व्यक्तियों को कठोर दंड भोगने पड़ते हैं। न्यायालय के पास ऐसे अनुविधाग्रस्त व्यक्तियों के साथ, उन्हें दंड देने के समय कोई विवेकाधिकार नहीं होता है। उनके अनुसार, यह न्याय की हत्या है। अत:, उन्होंने यह सुझाव दिया है कि जहां तक दंड का संबंध है "जो. . . . . तक हो सकेगा" शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्र० सं० 5—बीस पुलिस अधिकारियों और एक शिक्षाविद ने, इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के अनुसार, फायदा सभी को दिया जाना चाहिए क्योंकि यह साबित करना कठिन है कि ओषधि वैयक्तिक उपयोग के लिए आशयित नहीं थी। पुलिस महानिदेशक जम्मू-कश्मीर के अनुसार अधिनियम की धारा 27 के उपबंध केवल उन्हीं व्यक्तियों को लागू होते हैं जिनके पास वैयक्तिक उपभोग के लिए ओषधि की अल्पमात्रा अवैध रूप से है और ओषधियों की अल्पमात्रा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई है। तथापि, एक अधिवक्ता के अनुसार, यह धारा निरर्थक है और यह विखंडित किए जाने की दायी है क्योंकि वैयक्तिक उपभोग के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जा रही है। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सकारात्मक उत्तर दिया है और उच्च न्यायालय, मद्रास के अपर विशेष लोक अभियोजक का यह मत है कि धारा 27 जैसी इस समय है वैसी ही बनी रहने दो। यह साबित करना उस व्यक्ति का काम है, जो उसके फायदे का दावा करता है। वह इसे अपने वैयक्तिक उपभोग के लिए रखे हुए था। यह वास्तव में, व्यसनियों की सहानुभूतिपूर्वक देखरेख के लिए बहुत ही उदार उपबंध है। पुलिस महानिरीक्षक, चंडीगढ़ और अपर महानिदेशक (अपराध) पंजाब के अनुसार, धारा 27 का फायदा केवल वैयक्तिक उपभोग के लिए ही दिया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। तथापि, उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ के एक न्यायाधीश का यह मत है कि धारा 27(2) को हटाए जाने की आवश्यकता है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि अल्पमात्रा का कब्जा पाए जाने पर, किसी भी व्यक्ति को, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि वह वैयक्तिक उपभोग के लिए आशयित थी, कोई फायदा नहीं दिया जाना चाहिए, दो न्यायाधीश और एक पुलिस अधिकारी ने सकारात्मक उत्तर दिया है।

प्र० सं० 6—स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 के अधीन विशेष न्यायालय अभी तक उड़ीसा में सृजित नहीं किए गए हैं, श्री वी० पांडे यह महसूस करते हैं कि इस समय मामलों की अल्प संख्या को देखते हुए, ऐसे न्यायालयों की आवश्यकता नहीं है।

मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री और दो अधिवक्ताओं ने यह कहते हुए उत्तर दिया है कि उक्त अधिनियम के अधीन तमिलनाडु में विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं। तथापि, आवश्यक वस्तु विशेष न्यायालयों को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त की गई हैं।

जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक सेशन न्यायाधीश को, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन मामलों के विचारण की शक्ति निहित की गई है। तथापि, विशेष न्यायाधीशों के पृथक्, न्यायालयों का सृजन नहीं किया गया है।

इसी प्रकार केरल में, प्रत्येक जिले के मुख्य सेशन न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश के न्यायालय की शक्ति विनिहित की गई है।

मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ द्वारा प्रकीर्ण दांडिक मामला संख्या 2901/94 में पारित 14-11-94 के आदेश में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था और अब 9 विशेष न्यायालयों के गठन को अंतिम रूप दे दिया गया है।

गोवा और त्रिपुरा राज्य सरकार ने स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ न्यायालयों का सृजन कर लिया है और उसके लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त हो गया है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने पृथक् न्यायालयों के सृजन के लिए उच्च न्यायालय को मामला भेजा है किन्तु पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने, इस आधार पर विशेष न्यायालय का सृजन करने से इन्कार कर दिया कि मामलों की संख्या कम है ।

नागालैंड राज्य में विशेष न्यायाधीशों के पृथक् न्यायालयों का सृजन नहीं किया गया है । तथापि, सेशन न्यायालयों को इस प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायालय के रूप में घोषित किया गया है ।

सिक्किम के महानिदेशक पुलिस ने, विधि आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया है ।

पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 36 के अधीन मामलों के विचारण का संचालन करने के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं ।

कर्नाटक में राज्य सरकार ने अभी तक अधिनियम के अधीन पृथक् न्यायालयों का सृजन नहीं किया है ।

मणिपुर में सरकार ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश का एक न्यायालय स्थापित किया है । तथापि, पुलिस महानिदेशक का यह मत है कि अधिनियम के अधीन लंबित मामलों की विद्यमान संख्या को शीघ्र निपटाने के लिए कम से कम एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए ।

महाराष्ट्र राज्य में, विशेष न्यायालय गठित हो गए हैं ।

राजस्थान राज्य ने, राजस्थान विचारण के लिए पृथक् न्यायालयों का सृजन किया है ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिनियम की धारा 36 के अधीन कोई विशेष न्यायालय गठित नहीं किए गए हैं ।

गुजरात राज्य में ऐसे मामलों के विचारण के लिए, अपर सेशन न्यायाधीशों को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया है ।

असम राज्य सरकार ने, अभी तक अधिनियम की धारा 36 के अधीन मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीशों के पृथक् मामलों का चयन किया गया है ।

दिल्ली में विशेष न्यायालय पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं ।

प्र० सं० 7—अधिकांश उत्तर सकारात्मक हैं । एक अधिवक्ता का विचार है कि विशेष न्यायालय मामलों को निपटाने का असफल प्रयास है । अधीक्षक सी ई पणजी, अधीक्षक सी ई उत्तरी गोवा ने नकारात्मक उत्तर दिया है ।

प्र० सं० 8—अधिकांश न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने, सकारात्मक उत्तर दिया है । अपर विशेष लोक अभियोजक उच्च न्यायालय, मद्रास और अपर महानिदेशक पुलिस (अपराध) पंजाब का यह विचार है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 47 "सरकार का प्रत्येक अधिकारी" शब्दों से आरंभ होती है जिसमें वन और राजस्व अधिकारी भी सहजतः शामिल हैं । अतः, एक पृथक् धारा 47क बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्र० सं० 9—अधिकांश न्यायाधीश/अधिकारी/अधिवक्ता, विधि आयोग के प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं । तथापि, प्रस्ताव को उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों का अनुमोदन नहीं मिल पाया है । उनका यह मत है कि उक्त उपबंध अभियुक्त के हितों की रक्षा करते हैं । उच्च न्यायालय मद्रास के लोक अभियोजक पी०एम० प्रकाश ने, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अनेक निर्णय निर्दिष्ट किए हैं। जैसे, ए आई आर 1958 एस सी 411, 1994 6 ए सी सी 569 अलमुस्तफा बनाम केरल राज्य, 1995 (1) क्राइमस 77 । अमरजीत सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, पंजाब बनाम जसवीर सिंह 1996(1)एस सी सी 288, पंजाब राज्य बनाम बलवीर सिंह (1995 3 ए सीसी 610), सय्यद मौहम्मद बनाम गुजरात राज्य (1195 क्रिमिनल

जे० 2662), रघुबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1996 (1) अपराध पृष्ठ 53 एस सी) आदि । उनकी यह राय है कि धारा 50 को इस प्रकार पढ़ना चाहिए "जब धारा 41(2) में उल्लिखित राजपत्रित रैंक के अधिकारी से भिन्न धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, पूर्व इत्तिला पर.....". ऊपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) पंजाब ने सुझाव दिया है कि धारा 50 की उपधारा (1) में "अराजपत्रित" शब्द अंतःस्थापित किए जाने चाहिए क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला व्यक्ति एक राजपत्रित अधिकारी है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए । पुलिस महानिदेशक, बंगलौर तथा आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क, राजकोट ने नकारात्मक उत्तर दिया है । उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने निम्नवत् एक संशोधन करने का सुझाव दिया है ।

> "इस बात के होते हुए कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अध्याय 5 (धारा 41 से 68 तक) अनुसरण नहीं किया जाता है इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है और स्पष्ट किया जाता है कि विचारण दूषित नहीं है । प्रक्रिया का ऐसा अनुपालन, अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय विचार में लिया जाएगा । उक्त प्रक्रिया, अन्वेषक अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए निदेशात्मक प्रकृति की घोषित की जाती है ।"

प्र० सं० 10—26 न्यायाधीश, अधिकारी और अधिवक्ता उपयुक्त संशोधन समाविष्ट करते हुए, अधिनियम की धारा 50 का पुनः प्रारूपण करने के लिए, विधि आयोग के प्रस्ताव से सहमत हुए हैं, और एक वकील यह महसूस करता है कि यदि एक विशेषाधिकार दिया गया है तो उसका लेखों द्वारा अधित्याग क्यों किया जाए । उसका कहना है कि यदि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तत्काल मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा सकता है और अधिग्रहण केवल उसके समक्ष का प्रतिप्रेषण के समय ही किया जाना चाहिए । मजिस्ट्रेट का यह समाधान होना चाहिए कि क्या विशेषाधिकार का पालन किया गया था या उसका सम्यकतः अधित्याग किया गया था । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर के एक न्यायपीठ ने सुझाव दिया है कि यदि अन्तर्सोगत्वा कोई संशोधन अस्तित्व में लाया जाता है तो यह धारा 1 में उपबंधित किया जाना चाहिए कि राजपत्रित अधिकारी को छापादल का सदस्य नहीं होना चाहिए । एक अन्य न्यायाधीश को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ के 28-4-96 को विनिश्चित प्रकीर्ण दांडिक मामला सं० 2760/50 को निर्दिष्ट करने के पश्चात्, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के बारे में, विशेष उपबन्ध करने के लिए कोई औचित्य नहीं मिला है । उसका यह विचार है कि यदि धारा 50 जिस रूप में है, उसी में बनी रहती है तो इसे आज्ञापक होने के बजाए निदेशात्मक बनाया जाना चाहिए और पूर्वाग्रह या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के अनुसार, न्याय की असफलता पर अभिवाक् अनुज्ञेय होना चाहिए । आयुक्त के० उ० और स० प्र० ने, नकारात्मक उत्तर दिया है । अधीक्षक के० उ० पणजी ने सुझाव दिया है कि राजपत्रित अधिकारी मजिस्ट्रेट उसी बिन्दु पर तलाशी का साक्षी मात्र होगा ।

प्र० सं० 11—अधिकांश उत्तर सकारात्मक हैं किन्तु उनमें से कुछ ने, इसे नकारात्मक रूप में व्यक्त किया है क्योंकि उनके अनुसार विवेकाधिकार का दुरुपयोग हो सकता है ।

प्र० सं० 12—मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के सिवाए सभी व्यक्ति एक नई धारा के अन्तःस्थापन के लिये प्रस्ताव के लिए सहमत ही गए हैं ।

प्र० सं० 13—29 व्यक्तियों ने सकारात्मक उत्तर दिया है । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सुझाव दिया है कि कानूनी अवधि के भीतर आरोप पत्र पेश करने में त्रुटि होने की दशा में, भारसाधक अधिकारी को कार्रवाई का दायी होना चाहिए । उनमें से 4 यह महसूस करते हैं कि सुझाव व्यावहारिक नहीं है और यदि कार्यान्वित किए गए तो प्रशासनिक कठिनाइयां हो सकती हैं । तथापि, अपर विशेष लोक अभियोजक, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो/सी० शु० डी० आर० आई० जैसे अभिकरणों के कार्यकरण पर प्रभाव डालेगा क्योंकि वे पुलिस अधिकारी नहीं हैं और वे सभी स्रोतों से सामग्री एकत्र करते हैं और उसे एक शिकायत के साथ पेश करते हैं । वे आरोप-पत्र फाइल नहीं करते हैं इसलिए कानूनी संशोधनों की आवश्यकता नहीं है । अपर महानिदेशक (अपराध) पंजाब इस प्रश्न में अन्तर्विष्ट सुझावों से सहमत नहीं हैं, क्योंकि ऐसा किसी कार्यपालक/प्रशासनिक आदेश द्वारा किया जा सकता है । अधीक्षक के० उ० शु० उत्तरी गोवा ने, नकारात्मक उत्तर दिया है ।

प्र० सं० 14—मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री और अपर विशेष लोक अभियोजक और एक पुलिस अधिकारी ने सकारात्मक उत्तर दिया है। राज्य सरकार ने, राज्य की राजधानी में व्यसनियों की पहचान और उपचार के लिये केन्द्रों का सृजन किया है तथा आवश्यकता और वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, अन्य स्थानों पर और केन्द्र सृजित किए जाएंगे।

पुलिस महानिदेशक जम्मू और कश्मीर ने भी सकारात्मक उत्तर दिया है।

केरल और मध्य प्रदेश राज्यों ने भी प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया है।

पुलिस अधीक्षक ए० एम० ए० सी० पणजी, गोवा ने संकेत किया है कि राज्य सरकार ने, गोवा राज्य में व्यसनियों की पहचान और उनके उपचार के लिए केन्द्र स्थापित किए हैं।

पुलिस महानिदेशक, संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि व्यसनियों की पहचान और उनके उपचार के लिए राज्य सरकार ने अभी तक पर्याप्त केन्द्र स्थापित नहीं किए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (स्वापक) कोहिमा का यह विचार है कि नागालैण्ड में नगण्य केन्द्र हैं जो बिल्कुल पर्याप्त नहीं हैं।

पांडिचेरी, मणिपुर और सिक्किम संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा व्यसनियों की पहचान और उनके उपचार के लिये कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य ने, व्यसनियों के निर्जीव विषीकरण और पुनर्वास के लिए केन्द्र स्थापित किए हैं। मुम्बई और महाराष्ट्र के अन्य भागों में गैर-सरकारी संगठन भी इस क्षेत्र में प्रशंसनीय सेवा कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने, राजस्थान में पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए हैं। तथापि, आयुक्त सी एण्ड सी ई जयपुर के अनुसार, ऐसे केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकार द्वारा संस्थापित व्यसनियों की पहचान/सर्वेक्षण के लिए केन्द्रों की संख्या, जोन निदेशक, एन सी बी वाराणसी के अनुसार, नगण्य है।

बड़ौदा में, गुजरात सरकार द्वारा संचालित एस० एस० जी० अस्पताल में व्यसनियों की पहचान और उनके उपचार के लिये एक केन्द्र है।

प्र० सं० 15—अधिकतर व्यक्ति, जिन्होंने हमारी प्रश्नावली का उत्तर दिया है, विधि आयोग की सिफारिश से सहमत हैं। तथापि, उनमें से कुछ का यह अभिमत है कि कुछ जिलों/राज्यों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे ऐसा महसूस करते हैं कि इसे तद्नुसार, राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि वे आवश्यकतानुसार केन्द्र स्थापित करें।

प्र० सं० 16—विभिन्न न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, अधिवक्ताओं और शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे :—

(1) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 का लागू होना अपवर्जित किया जाए।

(2) दूसरा नमूना लेने के लिए स्पष्ट उपबंध किया जाए।

(3) ज्ञानचन्द बनाम राजस्थान राज्य 1993 क्रि० एल० जे० 442 के परिप्रेक्ष्य में, धारा 32(क) संशोधित की जाए।

(4) जहां तक राज्य का सम्बन्ध है सहायक आयुक्त को प्राधिकृत अधिकारी होना चाहिए। पुलिस उपायुक्त को उसका ठीक ज्येष्ठ अधिकारी होना चाहिए।

(5) अन्य सरकारी विभागों के राजपत्रित अधिकारी जैसे स्कूल हैड मास्टर, आदि भी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की परिधि के भीतर लाए जा सकते हैं।

(6) अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार पर, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, अपराधों का पता लगाने और उनके अन्वेषण के लिए सी० बी० एन०, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और पुलिस के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए एक कर्तव्य अधिरोपित करना चाहिए।

(7) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार पर चिकित्सीय अधिकारियों, मनोचिकित्सकों और समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में पुनर्वास केन्द्र खोलने का कर्तव्य अधिरोपित करना चाहिए।

(8) किसी अशक्त या रुग्ण व्यक्ति या बालक, नवयुवक और महिला को उन्मोचित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के परन्तुक के अनुरूप अधिनियम की धारा 37 का संशोधन किया जाए।

(9) धारा 42 से "प्रग्रहण" शब्द हटा दिया जाए क्योंकि धारा 43 और धारा 49 इसके लिए पर्याप्त होंगी।

(10) अधिनियम की धारा 43 के स्पष्टीकरण में "सरकारी कार्यालय" शब्द सम्मिलित किया जाए।

(11) अधिनियम की धारा 36 (क) (1) (ख) और (ग) पुनःप्रारूपण अपेक्षित है, ताकि यह स्पष्टतः कथन हो कि यदि निरोध आवश्यक समझा जाता है तो प्रतिप्रेषण की शक्ति का प्रयोग किसे करना चाहिए।

(12) धारा 29(2), धारा 29(1) की संक्रियाओं को सीमित करती है। यदि धारा 29 (2) के स्पष्टीकरण को समाविष्ट कर लिया जाए तो इसमें न केवल भारत में षड्यन्त्र/दुष्प्रेरण आ जाएंगे अपितु, वे प्रचालक भी होंगे जो इसके कथन के भीतर विदेश में है।

(13) सम्पत्ति के समपहरण से सम्बन्धित अध्याय 5क का इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए कि औषधि व्यापारियों को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के कारण अर्जित प्रचुर सम्पत्ति को अन्तरित करने से निवारित किया जा सके।

(14) धारा 37 का ऐसे पर्याप्त मार्गदर्शी सिद्धान्त समाविष्ट करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए जिन पर लोक अभियोजक जमानत पर उन्मुक्ति के लिए आवेदन का विरोध न कर सके।

(15) धारा 36 (घ) (2) का, संज्ञान लेने के बावजूद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर न्यायपीठ द्वारा विनिश्चित (1993-2ए सी सी 16 और प्रकीर्ण क्रिमिनल केस सं० 2901/94) के विनिश्चय को दृष्टि में रखते हुए भी लम्बित मामलों को विशेष न्यायालय के अन्तरण की अनुज्ञा और उपबन्ध करने के लिए संशोधन किया जाए।

(16) दण्ड के निलम्बन के लिए न्यायिक उद्घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में, समुचित मामलों में न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए धारा 32(क) को हटाया या संशोधित किया जाए।

(17) पुरस्कार, मैरिट की नीति को समाप्त किया जाए ताकि झूठे मामलों के सम्भावित रजिस्ट्रीकरण से बचा जाए और अधिक निष्पक्षता का तत्व लाया जाए।

(18) सील लगाने, नमूना लेने, जमा करने और प्रेषण के लिए अपनाई जाने वाली समुचित प्रक्रिया का उपबन्ध किया जाए।

(19) धारा 36(क)(1) की धारा (ख) को हटाया जाए।

(20) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम से सम्बद्ध सभी विभागों को नगद पुरस्कार में एकरूपता होनी चाहिए।

(21) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के सभी उपबन्धों की बाबत, सभी पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं।

(22) और अधिक स्नेफर कुत्ते रखे जाएं तथा उनके लिए और प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं।

(23) स्वापक के अभिग्रहण पर स्नेफर कुत्ते के नाम पर ही नकद पुरस्कार न दिया जाए अपितु कुत्ते के साथ रहने वाले पुलिस कार्मिक को भी दिया जाए।

(24) भेदिया को और प्रोत्साहन दिया जाए।

(25) अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की परिभाषा (धारा 68 ख (छ)) को व्यापक बनाया जाए ताकि उसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समहरण) अधिनियम, 1973 के अधीन परिभाषित "अवैध रूप से सम्पत्ति" के उपबन्ध शामिल हो सकें।

(26) धारा 28 (ग) की उपधारा (2) के परन्तुक को हटाया जाना चाहिए।

(27) धारा 68ङ की उपधारा (1) में "अध्याय लागू होता है" शब्दों के पश्चात् "भारत में या भारत के बाहर किए गए इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का आक्षेप लगाया गया है" शब्दों को हटाया जाना चाहिए।

(28) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत दुकानों के माध्यम से अफीम/पोस्त गांजा आदि का विक्रय रोक दिया जाना चाहिए।

(29) पुरस्कार के लिए रकम बढ़ाई जानी चाहिए।

(30) अधिनियम की धारा 9, 41 और 42 के उपबन्धों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

(31) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 68क के मुकाबले में 68ङ का पुनरीक्षण करके "आरोपित" शब्द के बारे में आशंका/संदिग्धता को दूर किया जा सके।

(32) राज्य उत्पाद-शुल्क विभाग द्वारा "भांग ठेके" के अनुज्ञापन पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।

(33) ड्रग सिंडिकेटों के लिए और कठोर दण्ड दिया जाए।

(34) सम्पत्ति के समपहरण से सम्बन्धित उपबन्ध (अध्याय 5क) के तत्काल संशोधन की आवश्यकता है जबकि धारा 68क और 68ङ विरोधात्मक हैं।

(35) राज्य प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामलों में, साक्षी के रूप में, उपयोग किए जाने वाले नियुक्त राज्य अधिकारियों के लिए नए उपबन्ध जोड़े जाएं।

(36) प्रस्तावित संशोधन (प्रश्नावली के) की धारा 50(3) को हटाया जाना चाहिए।

(37) मृदु ओषधि और कठोर ओषधि के बीच वर्गीकरण किया जाना चाहिए और उनके बीच दंड में परिवर्तन किया जाए।

(38) समपहरण ओषधि के लिए अधिकारियों को कोई पुरस्कार न दिया जाए। ऐसा पुरस्कार उन निजी दलों के मामले में दिया जाए जो जानकारी देते हैं।

(39) ओषधि का सामान्य कब्जा तब तक दंडनीय नहीं होना चाहिए जब तक कि उसे जान-बूझकर कब्जे में न रखा गया हो।

ऐसे व्यक्तियों की सूची, जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर दिया

राष्ट्रीय सेमिनार के लिए भेजे लेख

न्यायाधीश/रजिस्ट्रार, आदि

1. न्यायमूर्ति पी०जी० चितरे,
   न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर।
2. न्यायमूर्ति ए० आर० तिवारी,
   न्यायाधीश उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर।
3. रजिस्ट्रार, मद्रास उच्च न्यायालय।
4. श्री एम०एन० कृष्णन, रजिस्ट्रार, केरल उच्च न्यायालय।
5. न्यायमूर्ति (श्रीमती) पी०डी० उपासनी, मुंबई उच्च न्यायालय।
6. न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर०जी० वैद्यनाथ मुंबई उच्च न्यायालय।
7. श्री जे०एन० बरोवालिया ज्येष्ठ सेशन्स न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डी जिला मण्डी (हि० प्र०)।
8. श्री सैयद बशीर उद्दीन, रजिस्ट्रार, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय।

अधिवक्ता/अभियोजक

1. डा० जी० कृष्णामूर्ति, अधिवक्ता, मद्रास उच्च न्यायालय।
2. श्री बीनू कुमार, अधिवक्ता, अध्यक्ष, विधिज्ञ संगम, त्रिवेन्द्रम (केरल)।
3. श्री पी० एन० प्रकाश—अपर विशेष लोक अभियोजक, स्वापक पदार्थ, भारत सरकार, मद्रास उच्च न्यायालय।
4. श्री के०टी०एस० तुलसी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।

पुलिस अधिकारी/अन्य अधिकारी

1. श्री बी० पांडे, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अन्वेषण विभाग, अपराध, उड़ीसा, कटक।
2. पुलिस महानिदेशक, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर।
3. श्री एम०बी० महालाधन उप विधि सलाहकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, एन०सी०बी०, नई दिल्ली।
4. श्री ए०के० सिंह, पुलिस अधीक्षक, ए०एन०सी०, पणजी-गोवा।
5. श्री एस०के० चटर्जी, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा।
6. पुलिस महानिरीक्षक, संघ राज्यक्षेत्र, चण्डीगढ़।
7. श्री सी०पी० गिरि, भारतीय पुलिस सेवा, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक (स्वापक पदार्थ) नागालैंड, कोहिमा।
8. श्री सतीश चन्द्र, अपर पुलिस महानिदेशक (स्वापक पदार्थ खंड) पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
9. श्री अशोक जोशी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सचिव, मद्रास सरकार।
10. श्री पी० एस० बावा, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस महानिदेशक, सिक्किम।

11. अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, पंजाब।

12. निदेशक अपराध अभिलेख ब्यूरो, पांडिचेरी।

13. पुलिस महानिदेशक, बंगलौर, कर्नाटक।

14. पुलिस महानिदेशक मणिपुर, इम्फाल।

15. आंचलिक निदेशक, एन०सी०बी० मुंबई।

16. आयुक्त, सी ई और सी, पुणे।

17. आयुक्त, सी ई और सी, बड़ोदरा।

18. आयुक्त, सी और सी ई, जयपुर।

19. आंचलिक निदेशक, एन सी बी, वाराणसी।

20. आयुक्त, सी ई और सी, राजकोट।

21. विशेष पुलिस अधीक्षक, अपराध जांच विभाग, असम।

22. पुलिस उपायुक्त, स्वापक पदार्थ और अपराध निवारण, दिल्ली।

23. अधीक्षक, सीमाशुल्क (विधि) गोवा।

24. अधीक्षक, सी ई, पणजी।

25. अधीक्षक, सी ई, उत्तरी गोवा, चम्पारा, गोवा।

26. आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, चंडीगढ़।

शिक्षाविद्

1. प्रो० जोगा राव, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, युनिवर्सिटी।

2. प्रो० एम०आर०के० प्रसाद, महादेव कालेज ऑफ लॉ पणजी, गोवा।

उपाबंध 3

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन उपबंधित दंड

क्रम सं०	अपराधों का विवरण	न्यूनतम कारावास	न्यूनतम जुर्माना	अधिकतम कारावास	अधिकतम जुर्माना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खेती, उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा क्रय, विक्रय, परिवहन, छिपाना उपयोग या उपभोग, अंतर-राज्य आयात।				
	(क) पोस्त तृण (धारा 1)	10 वर्ष स० का०	1 लाख रुपए	20 वर्ष स० का०	2 लाख रुपए
	(ख) कोका के पौधे और कोका की पत्तियां (धारा 16)	10 वर्ष स०का०	1 लाख रुपए	20 वर्ष स० का०	2 लाख रुपए
	(ग) अफीम पोस्त, अफीम और निर्मित (धारा 17, 18, 16)	10 वर्ष सं०का०	1 लाख रुपए	20 वर्ष स० का०	2 लाख रुपए
	(घ) गांजा से भिन्न कैनेबिस (धारा 20)	10 वर्ष स०का०	1 लाख रुपए	20 वर्ष स० का०	2 लाख रुपए
	(ङ) गांजा (धारा 20)			50 वर्ष तक स० का०	50,000 रुपए तक
	(च) विनिर्मित औषधियां और निर्मितियां (धारा 21)	10 वर्ष स० का०	1 लाख रुपए	20 वर्ष स० का०	2 लाख रुपए
	(छ) सभी मनःप्रभावी पदार्थ (धारा 22)	10 वर्ष स०का०	1 लाख रुपए	20 वर्ष स० का०	1 लाख रुपए
2.	स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध रूप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण के लिए दंड (धारा 23)	10 वर्ष सं०का०	1 लाख रुपए	20 वर्ष स० का०	2 लाख रुपए
3.	धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों में बाह्य व्यवहार के लिए दंड (धारा 24)	10 वर्ष स० का०	1 लाख रुपए	20 वर्ष स० का०	2 लाख रुपए
4.	किसी अपराध के किए जाने के लिए किसी परिसर, अहाते, जगह, स्थान, जीवजन्तु या प्रवहण का उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देने के लिए दंड (धारा 25),	10 वर्ष स० का०	1 लाख रुपए	20 वर्ष स० का०	2 लाख रुपए
5.	किसी नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, प्रदाय, विक्रय, क्रय, उपभोग, उपयोग, भंडारण, वितरण, व्यवस्था अर्जन के लिए दंड (धारा 25क)			10 वर्ष तक स० का०	1 लाख रुपए तक
6.	अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दंड (धारा 26)		...	3 वर्ष तक कारावास	या जुर्माना या दोनों

1	2	3	4	5	6
7(क)	कोकीन, मारफीन, डाइसेटिल मारफीन या किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, वैयक्तिक उपयोग के लिए अल्पमात्रा में अवैध कब्जा रखने के लिए दंड (धारा 27)			1 वर्ष तक कारावास	या जुर्माना या दोनों
(ख)	ऊपर 7(क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के वैयक्तिक उपयोग के लिए अल्पमात्रा में अवैध कब्जा रखने के लिए दंड (धारा 27)			6 मास तक कारावास	या जुर्माना या दोनों
8.	किसी अपराध का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्त पोषण करने या पूर्ववर्णित क्रियाकलापों में किसी में लगे किसी व्यक्ति को संश्रय देने या उसको करने में षड्यंत्र के लिए दंड (धारा 27क)	10 वर्ष स०क०	1 लाख रुपए	20 वर्ष स० क०	2 लाख रुपए
9.	इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का किया जाना कारित करने का प्रयत्न या ऐसा प्रयत्न करने में उस अपराध के किए जाने के संबंध में, कोई कार्य करने के लिए दंड (धारा 28)	उस विनिर्दिष्ट अपराध के लिए यथा उपबंधित			
10.	इस अधिनियम के अध्याय 9 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने और ऐसा कोई अपराध करने का आपराधिक षड्यंत्र करने, चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण या आपराधिक षड्यंत्र के परिणामस्वरूप किया जाता या नहीं, के लिए दंड (धारा 29)	उस विनिर्दिष्ट अपराध के लिए यथा उपबंधित			
11.	धारा 15से धारा 25 तक के (दोनों सहित) किसी उपबंध के अधीन दंडनीय अपराध गठित करने की तैयारी करने या करने का लोप के लिए दंड (धारा 30) ।	सामान्य दंड का आधा		सामान्य दंड का आधा	
12.	पश्चात्वर्ती (धारा 31)	सामान्य दंड का दुगुना		सामान्य दंड का दुगुना मृत्यु दंड	
13.	उपधारा 21 क में यथा उल्लिखित कतिपय स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए व्यापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, भारत में आयात, भारत निर्यात या मार्गांतरण में लगे रहने से संबंधित किसी अपराध के करने या करने का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण करने या दुष्प्रेरण करने के आपराधिक षड्यंत्र की बाबत पश्चात्वर्ती दोषसिद्ध के लिए दंड (धारा 31 क)				

भारत के इतिहास में पहली बार के लिए मृत्युदंड स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 के अधीन उपबंधित किया गया है। उक्त धारा 31क के अधीन, जहां कोई व्यक्ति भारत से बाहर आपराधिक अधिकारिता के सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है तो उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानो वह भारत के किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो।

2. इसके अतिरिक्त, धारा 32क के उपबंधों के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि (किन्तु धारा 33 के उपबंधों के अधीन) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी दंड को निलंबित या उसका परिहार या लघुकरण नहीं किया जाएगा।

3. धारा 36 अपराधियों का शीघ्र विचारण और दंड के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का उपबंध करता है।

4. धारा 37 यह उपबंध करती है कि अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

5. धारा 59 के अधीन इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी पर आरोपित कर्तव्य की अवहेलना या जानबूझकर उपेक्षण/मौनानुमति 10 वर्ष के सश्रम कारावास/एक लाख रुपए के जुर्माने से, जो बीस वर्ष के सश्रम कारावास/दो लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा। "आफिसर" पद के अंतर्गत सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे मान्यता दिए गए किसी अस्पताल/संस्था में नियोजित कोई भी व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए सम्मिलित है।

6. धारा 64क में उपचार के लिए स्वेच्छापूर्वक आने वाले व्यसनियों को अभियोजन से छूट देने का उपबंध है।

उपाबंध 4

तारीख 30-8-96 को राष्ट्रीय ओषधि प्रवर्तन से संबंधित में आंकड़े

(अनंतिम)

वर्ष		1992	1993	1994	1995	1996
1. विभिन्न प्रकार की ओषधियों की जब्ती कि०ग्रा० में और मामलों की सं०						
अफीम	जब्ती	1918	3011	2256	1339	1338
	मामले	1286	1679	1171	671	349
भारफीन	जब्ती	35	36	51	4	1
	मामले	158	105	145	35	20
हिरोइन	जब्ती	1153	1088	1011	1678	877
	मामले	2779	3383	3331	3236	1245
गांजा	जब्ती	64341	98867	187896	121873	26531
	मामले	5839	5214	6827	5737	20309
हशीश	जब्ती	6621	8232	8992	3628	4825
	मामले	2516	2827	2762	2691	986
कोकीन	जब्ती	0.420	2	1.38	56	0
	मामले	4	4	6	6	2
मेथाक्वेलोन	जब्ती	7475	15004	45319	20485	9
	मामले	167	283	457	196	4
फेनीबार्बिटल	जब्ती	118020	टिकियां	–	0	0
	मामले	2	–	–	0	0
एल एस डी जब्ती	जब्ती	50	164	256	113	1285
(एस क्यू) पेपरस	मामले	–	1	–	1	7
ऐसिटिक एन हाइड्राइड	जब्ती	–	19758	47740	9282	2892
(लिटर में)	मामले	–	22	40	26	6
2. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति						
(क) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं० जिनमें विदेशी नागरिक भी हैं।		12650	13723	15452	14673	5203
(ख) विदेशी नागरिकों की सं०		116	114	136	148	110
3. ओषधि व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई						
(क) अभियोजित व्यक्तियों की सं०		7172	9964	9154	12918	5505
(ख) सिद्धदोष पाए गए व्यक्तियों की सं०		761	1488	1255	2456	1472
(ग) दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों की सं०		1762	2633	3165	3914	2285
4. पिटनोपस (स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ) अधिनियम, 1988 के अधीन की गई कार्रवाई						
पिटनोपस अधिनियम, 1988 के अधीन जारी किए गए तिरीक्ष आदेशों की सं०		97	116	156	111	45
निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या		80	92	123	69	38

एन० सी० बी० नई दिल्ली

वर्ष	1992	1993	1994	1995	1996
5. स्वापक ओषधि उत्पादक पौधों का विनाश					
(क) पोस्त पौधा					
क्षेत्र (एकड़ में)	19	67	0.5	5	0
संभाव्य उत्पादन (किग्रा० में)	135	794	9	10	0
(ख) कैनेबिस पौधा					
क्षेत्र (एकड़ में)	1219	2587	858	638	16
संभाव्य उत्पादन (कि० ग्रा० में)	1230309	3270661	1073334	694617	9850
6. सन्निर्माण सुविधाओं का विनाश					
(क) पता लगाई गई प्रसुविधाएं और जब्त तैयार ओषधि की मात्रा, कि० ग्रा० में					
हिरोइन	1.010	1	27	6	0
पता लगाई गई प्रसुविधाओं	5	4	3	8	0
हशीश	–	–	–	0	0
पता लगाई गई प्रसुविधाएं	–	–	–	0	0
मिटीकवेलैन	3651.000	1710	6091	7336	0
पता लगाई गई प्रसुविधाएं	3	2	8	4	1
भारफीन	0.760	–	–	0	0
पता लगाई गई प्रसुविधाएं	1	–	–	0	0
(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं०	7	3	25	17	1
(ग) जब्त की गई आपराधिक सामग्री किग्रा में					
ऐसिटिक एनहाइड्राइड	–	21040	–	0	0
ऐसिटिल एंथ्रानिलिक एसिड (लिटर)	–	–	–	561	0
ऐसिटिल एंथ्रानिलिक पाउडर	–	–	–	100	0
एसिटिल क्लोराइड	–	–	–	0	0
अमोनियम क्लोराइड	–	–	18.5	7	0
डाइऐथिल इथर	–	–	0	0	0
मेथनोल	–	–	0	0	0
अफीम	37.950	2.750	82	10	0
अफीम घोल (लिटर)	–	–	–	0	0
सोडियम कार्बोनेट	–	–	–	0	0
7. जब्त स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों का निपटान					
अफीम	254	449	33.3	5	15
भाईफीम	1	–	–	0	0
हीरोइन	807	240	463	404	22
गांजा	5962	10699	12850	1809	46
हशीश	1117	1115	2234	8709	99
कोकीन	2	–	0.95	0	0
मेथाक्वेलोन	114	17345	9449	10852	416
फेनाबार्बिटल	–	–	–	–	0
एल एस डी (एस क्यूपपरस)	–	–	–	–	0
ऐसिटिक एनहाइड्राइड (लिटर)	–	–	–	–	0

एन सी बी नई दिल्ली

वर्ष	1992	1993	1994	1995	1996
8. संपत्ति का समपहरण					
(क) समपहृत संपत्ति का मूल्य (रु० में)	888337	–	1024400	309479	274479
मामलों की सं०	5	–	1	3	1
(ख) रोक लगाई संपत्ति का मूल्य (रु० में)	37026070	904044	85067571	210428346	456000
मामलों की सं०	4	7	17	27	2
9. जब्ती अधिकरणवार सं०					
संपूर्ण भारत	12751	33518	12799	14857	4928
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	88	116	90	38	35
आसूचना राजस्व निदेशालय	5	18	29	29	5
सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	518	474	417	272	76
सीमा सुरक्षा बल	42	125	180	276	112
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	–	12	6	1	0
राज्य अभिकरण (योग)	11984	12694	13865	12119	4671
पुलिस	–	12497	13526	11833	4649
उत्पाद-शुल्क	–	197	339	286	22
संयुक्त संक्रिया	–	–	–	–	13
अधिकरणवार जब्त की गई मात्रा का ब्यौरा (कि० ग्रा०)					
क. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो					
अफीम	50	166	1.4	49	11
मारफीन	–	–	–	–	0
हीरोइन	25	69	101	75	78
गांजा	359	3349	3228	462	52
हशीश	2	347	261	27	38
कोकीन	–	0.06	–	0	0
मेथाक्वेलोन	1491	5776	676	1064	5
फेनाबार्बिटल	63590 टिकियां	–	–	–	0
एल एस डी	–	–	–	–	0
एसिटिक एनहाईड्राइड (लिटर)	–	–	–	880	–
ख. राजस्व आसूचना निदेशालय					
अफीम	143	393	0.04	29	0
मारफीन	0.190	–	–	–	0
हीरोइन	0.035	140	15	243	103
गांजा	–	709	1170	1833	13
हशीश	74	–	1340	130	3508
कोकीन	–	–	–	–	0
मेथाक्वेलोन	–	372	12620	14089	0
फेनोबार्बिटल	–	–	–	–	0
एल० एस० डी०	–	–	–	–	0
एसिटिक एनहाईड्राइड (लिटर)	–	2000	–	–	0

एम.सी.डी. नई दिल्ली

वर्ष	1992	1993	1994	1995	1996
ग. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क					
अफीम	68	111	26	61	76
मारफीन	2	–	30	2	0
हीरोइन	83	114	152	207	112
गांजा	12221	22146	22621	8754	789
हशीश	115	1369	1294	850	576
कोकीन	0.310	1	–	3	0
मेथाक्वेलोन	1638	4140	11361	205	4
फेनाबार्बिटल	54430 टिकियां	–	–	–	0
एल एस डी	–	–	–	–	0
ऐसिटिक एनहाईड्राइड (लिटर)	–	8000	25275	78	2117
घ. केन्द्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सी० बी० एन०)					
अफीम	533	127	468	165	116
मारफीन	2	2	–	–	0
हीरोइन	10	25	22	60	2
गांजा	53	152	168	52	0
हशीश	–	19	1	–	0
कोकीन	–	–	–	–	0
मेथाक्वेलोन	–	–	–	–	0
फेनाबार्बिटल	–	–	–	–	0
एल एस डी	–	–	–	–	0
ऐसेटिक एनाहाईड्राइड (लिटर)	–	–	–	–	0
ङ. सीमा सुरक्षा बल (बी० एस० एफ०)					
अफीम	–	12	8	–	0
मारफीन	–	0.295	0.5	–	0
हीरोइन	29	77	177	653	124
गांजा	281	1156	1466	2073	1578
हशीश	373	813	513	491	116
कोकीन	–	–	–	–	0
मेथाक्वेलोन	–	–	–	–	0
फेनाबार्बिटल	–	–	–	–	0
एल एस डी	–	–	–	–	0
ऐसिटिक एनहाईड्राइड (लिटर)	–	–	–	4715	140
च. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०)					
अफीम	–	3	2	–	0
मारफीन	–	–	–	–	0
हीरोइन	–	13	6	–	0
गांजा	–	2	–	–	0
हशीश	–	7	6	13	0
कोकीन	–	–	–	–	0
मेथाक्वेलोन	–	–	–	–	0
फेनोबार्बिटल	–	–	–	–	0
एल एस डी	–	–	–	–	0
ऐसिटिक एनहाईड्राइड (लिटर)	–	–	–	–	0

वर्ष	1992	1993	1994	1995	1996
क. राज्य पुलिस					
अफीम	1017	2196	1751	1044	1133
मारफीन	30	34	20	2	1
हीरोइन	938	638	530	430	338
गांजा	49374	68310	144754	108963	24079
हशीश	2057	5680	3571	2038	530
कोकीन	0.110	1	1 2	37	0
मेथाक्वेलोन	4346	4736	20462	5117	5
फेनाबार्बिटल	–	–	–	–	0
एल एस डी (एस क्यू पेपर)	30	164	256	–	648
ऐसिटिक एनहाईड्राइड (लिटर)	–	2257	18815	3808	110
ख. राज्य उत्पाद-शुल्क					
अफीम	7	3	–	–	0
मारफीन	1	69 एम्पल	–	–	0
हीरोइन	8	12	8	9	0
गांजा	2093	3040	14489	1937	20
हशीश	–	3	7	79	1
कोकीन	–	–	–	–	0
मेथाक्वेलोन	–	–		–	0
फेनाबार्बिटल	–	–	–	–	0
एल एस डी	–	–	–	113	637
ऐसिटिक एनहाईड्राइड (लिटर)	–	–	–	–	0
ग. संयुक्त संक्रिया					
अफीम	–	–	–	–	0
मारफीन	–	–	–	–	0
हीरोइन	–	–	–	–	122
गांजा	–	–	–	–	0
हशीश	–	–	–	–	65
कोकीन	–	–	–	–	0
मेथाक्वेलोन	–	–	–	–	0
फेनाबार्बिटल	–	–	–	–	0
एल एस डी	–	–	–	–	0
ऐसिटिक एनहाईड्राइड (लिटर)	–	–	–	–	525

एम.सी.बी., नई दिल्ली

उपाबंध 5

गोवा में हुई कार्यशाला की कार्यवाहियों का सार

गोवा सरकार और भारत के विधि आयोग के तत्वाधान में, तारीख 18 जनवरी, 1997 को होटल मनडेवी, पणजी, गोवा में, दांडिक विधि और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में, एक कार्यशाला आयोजित की गई ।

उसमें निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे :

1. श्री पी० सुंदरराजन, अपर जिला न्यायाधीश, मारगाव ।
2. श्री ए० डी० सलकार, अपर जिला न्यायाधीश और ज्येष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन० डी० पी० सी०, मपूसा ।
3. श्री ए० पी० कारडोसो, अधिवक्ता ।
4. श्री एस० एस० करिमा, लोक अभियोजक, मारगाव ।
5. श्रीमती शोभा धूमसकर, लोक अभियोजक, मपूसा ।
6. श्री ए० के० सिंह, पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) पणजी, गोवा ।
7. श्री गोपाल एम० जाधव, पुलिस निरीक्षक ।
8. श्री एम० बी० महाबल, पी० एस० आई ।
9. श्री जेलर सी० डी० सुआजा, अधिवक्ता, गोवा ।
10. श्री नरेन्द्र एस० ए० सवायकर, अधिवक्ता, (उच्च न्यायालय विधिज्ञ संगम)
11. श्री एम०पी० करवलहो, उत्पाद-शुल्क अधीक्षक ।
12. प्रो० डा० करमोडिसूजा, एम०एस० कालेज, पणजी ।
13. प्रो० एम० आर० के० प्रसाद, कालेज आफ लॉ, पणजी ।
14. श्री सुरेश नरूलकर, अधिवक्ता, उत्तरी गोवा जिला ।
15. श्री देवानंद शेतकर, अधिवक्ता ऐशोसिएशन ।
16. प्रो० जे० जी० प्रभुदेसाई, जी० आर० कारकाले ।
17. प्रो० के० बी० बुनेकोलीनकर ऑफ लॉ, मागाव ।
18. श्री आई डी० शुक्ला, उप अधीक्षक पुलिस, पणजी, गोवा ।
19. श्री राजेन्द्र राउत देसाई, पी० एस० आई ० ।
20. श्री पाडुरंग एस० कलंगुत्कर, पी० एस० आई ० ।
21. श्री डी० एस० सावंत, पी० एस० आई ।
22. श्री जी० बी० धूम, लोक अभियोजक ।
23. श्री मानुदन गौंकर, सहा० लोक अभियोजक ।
24. श्रीमती इडना रोडरीगुअस, लोक अभियोजक ।
25. श्री प्रमोद एस० हेंड, लोक अभियोजक ।
26. श्री बी० एन०एस० मलकरनीकरण, लोक अभियोजक ।

27. श्रीमती अरसेकर, सहायक लोक अभियोजक ।

28. श्री शेखर एस० परब, सहायक लोक अभियोजक, पणजी ।

29. श्री तेओदोलिंडा एस० सरदिन्हा, सहायक लोक अभियोजक ।

30. श्री सुभाष पी० देसाई, सहायक लोक अभियोजक क्यूपिम ।

31. श्री देवीदास केरकर, सहायक लोक अभियोजक ।

32. श्री शैलेश कलंगुटकर, सहायक लोक अभियोजक, पणजी ।

33. श्री लाडिसलाऊ एम० फर्नांडिज, सहायक अभियोजक, वास्को ।

माननीय न्यायमूर्ति के० जयचन्द्र रेड्डी, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग ने, कार्यशाला की अध्यक्षता की। उन्होंने, विधि आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली के संदर्भ में, स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के विभिन्न उपबंधों का संशोधन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने, भाग लेने वालों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया।

कुछ भाग लेने वालों का यह विचार था कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन और अधिक ओषधियां लाई जानी चाहिए। उनके अनुसार, मात्र दण्ड पर्याप्त नहीं होगा। ओषधि के दुरुपयोग के कुप्रभावों के विरुद्ध सामाजिक जागरुकता भी होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करना चाहिए। इस संबंध में, प्रेस और मीडिया भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं।

कुछ अन्य भाग लेने वालों ने यह संकेत दिया कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन विहित विभिन्न स्वापक ओषधियों की अल्पमात्राओं के लिए उपबंध और इसके लिए विहित दंड समानुपातिक नहीं हैं।

इस विषमता पर काबू पाने के लिए, स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के सुसंगत उपबंधों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

उनमें से कुछ ने, यह विचार अभिव्यक्त किया कि निजी उपभोग के लिए ओषधि की अल्पमात्रा में कब्जे के संबंध में, कार्रवाई करने वाली स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 27 को हटा दिया जाना चाहिए।

यह भी सुझाव दिया गया था कि इस अधिनियम के अधीन मामलों पर उन्नत रूप से कार्रवाई करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यह सुझाव दिया गया था कि मृदु ओषधि के उपभोक्ताओं, नियमित या यदा कदा प्रयोग करने वाले, दोनों को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता है।

उपाबंध 6

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 22-23 फरवरी, 1997 को आयोजित दांडिक न्याय संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी की कार्यवाहियों का सार

संगोष्ठी में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे :

अनीता अग्रवाल, मुंबई उच्च न्यायालय।

ई०सी० अग्रवाल, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय।

महेश अग्रवाल, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय।

एस०के० अग्रवाल, अधिवक्ता

सुश्री शारदा अग्रवाल, अपर जिला सेशन न्यायाधीश, दिल्ली।

न्यायमूर्ति डा० ए० एस० आनंद, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय।

सुश्री आनंद पिकी, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय।

एस० डी० आनंद, संयुक्त सचिव, (विधि) हरियाणा।

टी० एस० अरुणाचलम, ज्येष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय।

डा० आदित्य आर्य, उपायुक्त, दिल्ली पुलिस।

रीना बग्गा, अधिवक्ता

वी० बाला जी, अधिवक्ता

पी० एम० बक्शी, भूतपूर्व सदस्य, विधि आयोग।

एम० बालचन्द्रन, उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

डी० बनर्जी, अपर उपायुक्त, आसूचना, कलकत्ता।

अचल भगत, ज्येष्ठ परामर्शी, अपोलो हास्पिटल।

ए० पी० भटनागर, अपर पुलिस महानिदेशक, पंजाब।

ओमेन्द्र भारद्वाज, उप महानिरीक्षक, राजस्थान।

ए० एम० विश्वास, सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग।

भारतचन्द्र, अपर पुलिस महानिदेशक, आन्ध्रप्रदेश।

डा० सतीश चन्द्र, अपर विधि अधिकारी, विधि आयोग।

सुश्री मुसर्रफ चौधरी, अधिवक्ता।

एस० सी० चावला, अधिवक्ता।

आर० सी० चोपड़ा, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, दिल्ली।

बी० एन० दास, अधिवक्ता, कटक।

मनोज के० दास, अधिवक्ता।

श्री न्यायमूर्ति, वी० एस० दवे, सेवानिवृत्त, अध्यक्ष, राज्य विधि आयोग, राजस्थान।

आर० पी० चानिया, मुख्य अभियोजक, अभियोजन निदेशालय, दिल्ली।

सुजाता, चावेल, डाक्टर ऐसोशिएशन आफ कंफैडरेशन।

आर० सी० दीक्षित, अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एन० दुलरे, उपमहानिरिक्षक, ग्वालियर।

एस० के० गंभीर, अधिवक्ता, दिल्ली।

विवेक गंभीर, अधिवक्ता, दिल्ली।

न्यायमूर्ति ए० के० गांगुली।

मनीष गर्ग, अधिवक्ता, दिल्ली ।

डी० एन० गौतम, उपमहानिरीक्षक, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ।

सुबोध घिभदियाल, पत्रकार ।

डी० एल० गुलाटी, सचिव (विधि) हरियाणा ।

अरुणेश्वर गुप्ता, अधिवक्ता ।

अरविन्द गुप्ता, अधिवक्ता ।

ए० के० गुप्ता, अधिवक्ता ।

दीपांकर, गुप्ता, सहायक पुलिस महानिदेशक (अपराध), उत्तर प्रदेश ।

न्यायमूर्ति आर० एल० गुप्ता, सदस्य, विधि आयोग ।

नरेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता ।

शेखर गुप्ता, संपादक, इंडियन एक्सप्रेस ।

श्रीमती जैकब एलिस, सदस्य, विधि आयोग ।

आर० सी० जैन, नई दिल्ली ।

आर० के० जैन, ज्येष्ठ अधिवक्ता, नई दिल्ली ।

न्यायमूर्ति एस० एन० झा, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय ।

सुश्री काक पूर्णिमा भट, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय ।

सुमन कपूर, अधिवक्ता ।

पं० परमानंद कटारा अधिवक्ता ।

संजय काव, पत्रकार ।

रमाकान्त खलप, विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री ।

सुश्री रुचि खुराना, प्रशिक्षणार्थी अधिवक्ता ।

श्री० जी० कृष्णामूर्ति, सदस्य, विधि आयोग ।

मुकेश कुमार, प्रशिक्षणार्थी अधिवक्ता ।

सुशील कुमार, ज्येष्ठ अधिवक्ता ।

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ।

के० कुमारास्वामी, अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), तमिलनाडु ।

ललित उदय, अधिवक्ता ।

रमेश मंचारदी, मुख्य अभियोजक, अभियोजन निदेशालय, दिल्ली ।

न्यायमूर्ति श्री० सुजाता मनोहर, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय ।

डा० जी० जी० मुंसारामनी, दिल्ली ।

एस० पी० माथुर, डी० पी० आर एंड डी० अन्ने मैथ्यू, अधिवक्ता ।

आर० एल० मीणा, सदस्य सचिव, भारत का विधि आयोग ।

विपिन नायर, अधिवक्ता ।

नारायण नंद इन्द्र अधिवक्ता ।

श्रीमती नारायण रंजन, अधिवक्ता ।

एफ० एस० नरीमन, ज्येष्ठ अधिवक्ता ।

आर० निखलेश, अधिवक्ता ।

पहवा विकास, अधिवक्ता ।

पाली आनंद, अधिवक्ता ।

सुश्री पाली रेखा, अधिवक्ता ।

जी० एस० पंधेर, महानिदेशक बी० पी० आर० एंड डी० ।

न्यायमूर्ति एस० आर० पांडियन ।

के० पार्थ सारथी, विधि सचिव, पांडिचेरी ।

पी० एच० पारेख, अधिवक्ता ।

मैक्सवैल परेरा, अपर पुलिस आयुक्त ।

बी० आर० प्राधन, विधि विभाग, सिक्किम सरकार ।

पी० एस० बी० प्रसाद, संयुक्त निदेशक, एस० एन० पी० ए० ।

न्यायमूर्ति एम० एम० पुंछी, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय ।

एस० एस० पुरी, निदेशक, लोक अभियोजन, मुंबई ।

पी० एन० रुखदया, भारतीय पुलिस सेवा ।

डा० एस० सी० रैना, परियोजना निदेशक, बी पी० आर० एंड डी० ।

देवेन्द्र रखेजा, अध्यक्ष, विधि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ।

मनिराम, भारतीय पुलिस सेवा ।

पी० एस० रामलिंगम, अधिवक्ता ।

ए० टी० राव, अधिवक्ता ।

डी० के० प्रहलाद राव, अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ।

न्यायमूर्ति एम० जगन्नाथ राव, मुख्य न्यायमूर्ति, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

एम० वी० कृष्णा राव, निदेशक, ए० पी० पुलिस अकादमी ।

पी० पी० राव, ज्येष्ठ अधिवक्ता ।

जे० टी० सुलक्षणा राव, सहायक विधि अधिकारी, विधि आयोग ।

ए० वी० रंगम, अधिवक्ता ।

बुद्धि रंगानाथन, प्रशिक्षणार्थी अधिवक्ता ।

एन० श्रीलोक रथ, प्रशिक्षणार्थी अधिवक्ता ।

एस० पी० एस० राठौर, पुलिस महानिदेशक (अपराध) राजस्थान ।

सी० एस० आर० रेड्डी, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़ ।

न्यायमूर्ति के जयचन्द्र रेड्डी, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग ।

सदाशिव रेड्डी, अधिवक्ता ।

सुश्री ऊषा रेड्डी, अधिवक्ता ।

एन० के० सैबर, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त) ।

हरीश साल्वे, ज्येष्ठ अधिवक्ता ।

ए० टी० एम० संपथ, अधिवक्ता ।

एच० एस० संधु, पुलिस अधीक्षक (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ।

डा० के० संकिलयरान, सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ।

सतीश आर०, अधिवक्ता ।

सुश्री पदमा सेठ, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ।

अतुल शर्मा, अधिवक्ता ।

न्यायमूर्ति एस० के० शर्मा, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

श्रीमती पवन शर्मा, सहायक विधि अधिकारी, विधि आयोग ।

टी ० सी० शर्मा०, अधिवक्ता ।

विभाकर शर्मा, उपमहानिरीक्षक, तिरुनेलवली, तमिलनाडु ।

विष्णु शर्मा, अधिवक्ता ।

एस० एन० शरीफ, अधिवक्ता ।

एन० के० सिंघल सेवानिवृत्त, भारतीय पुलिस सेवा ।

कपिल सिब्बल, ज्येष्ठ अधिवक्ता ।

जे० पी० सिंह, अपर जिला न्यायाधीश, दिल्ली ।

न्यायमूर्ति भवानी सिंह

सुल्तान सिंह, अधिवक्ता ।

जी० पी० श्रीवास्तव, अधिवक्ता ।

एस० सी० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, विधि आयोग ।

ए० सुब्बिनी,अधिवक्ता ।

ए० के० सूरी, अपर महानिदेशक, जम्मू और कश्मीर ।

आर० एस० सूरी, अधिवक्ता ।

एस० जे० सैयद, विधिक परामर्शी, राष्ट्रीय महिला आयोग ।

न्यायमूर्ति चनीलाल ठक्कर, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय ।

न्यायमूर्ति के० टी० थामस, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय ।

संजय त्रिपाठी, उपविधि अधिकारी, विधि आयोग ।

डा० वी० वी० त्रिपाठी, सहायक निदेशक, वी पी आर एंड डी ।

के० टी० एस० तुलसी, ज्येष्ठ अधिवक्ता ।

ए०के० उपाध्याय, सहायक विधि अधिकारी, विधि आयोग ।

डा० अनूप कुमार वार्ष्णेय ।

न्यायमूर्ति एम० एन० वेंकटचेलैया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ।

न्यायमूर्ति डी० पी० बधवा, मुख्य न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय ।

आर० के० यादव, अपर जिला न्यायाधीश ।

रनबीर यादव, अधिवक्ता ।

23 फरवरी, 1997 को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ; अधिनियम पर एक अधिवेशन हुआ । भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायामूर्ति श्री के० टी० थामस ने, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की । उन्होंने यह कहा कि धारा 43 से 52 तक के उपबंध पर्याप्त हैं ।

उन्होंने उन गुणों को बताया जो एक लोक अभियोजक में होने चाहिए और लोक अभियोजक के रूप में सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने ओषधि के संबंध में, संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशनों का भी उल्लेख किया । उसके अनुसार, स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंध भयोत्पादी और कठोर हैं । तथापि, उन्होंने अधिनियम में कई अन्य उपबंधों की जावत खामियों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को यह भी जानकारी नहीं कि उनके बयान राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित किए जाने हैं जबकि विधि यह उपबंध करती है कि बयान या तो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष अभिलिखित किए जाएं ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के० टी० एस० तुलसी ने, दांडिक न्याय प्रशासन के कहु जाने की समस्याओं को निर्दिष्ट किया । उन्होंने कहा कि तलाशी, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाए क्योंकि यह अभियुक्त के अधिकारों का महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है । फिर भी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अभिकरण पर विश्वास किया जाना है । उन्होंने यह भी कहा कि विधान विभिन्न स्थितियों में संतुलन बनाने के लिए है । श्री तुलसी ने, अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन का प्रभाव दर्शित करने के लिए बहुत से सांख्यिकीय आंकड़े दिए ।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, श्री एच० एस० संधू ने, अन्वेषण और अभियोजन की असफलता के कारणों पर प्रकाश डाला । उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित विधि को भी निर्दिष्ट किया ।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री आर० सी० दीक्षित ने भी स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की विभिन्न खामियों की ओर संकेत दिया ।

वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन ओषधि का वाहक दोषसिद्ध होता । उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि क्या ऐसा उचित है । उन्होंने साबित करने के भार और साक्ष्य मूल्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी जोर दिया । इस संबंध में, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की विधियां भी निर्दिष्ट की ।

H-97-M/J261MofLJ&CA—200—24-11-99—GIPS

PLD. 92-CLV (H)
200—1997 (DSK-IV)

मूल्य : देश में—358 रु० 50 पै०; विदेश में—5 पौण्ड 10 शि० 1 पै० या 9 डालर 19 सैंट्स

1999

प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय शिमला द्वारा मुद्रित तथा
प्रकाशन नियन्त्रक सिविल लाईन्स दिल्ली द्वारा प्रकाशित